इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026—माघ 24, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश राधा डावर पत्नी सुनिल डावर अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम किरण बघेल पिता प्रेमसिंह बघेल है. मेरा परिवर्तित नाम किरण बघेल पिता प्रेमसिंह बघेल है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे किरण बघेल पिता प्रेमसिंह बघेल के नाम से ही जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(किरण बघेल)
पिता— प्रेमसिंह बघेल
निवासी— 125/2, काकड़पुरा, किकरवास,
जिला धार (म.प्र.).

(G-1251)

नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम शिवांक प्रधान था, जिसे परिवर्तित कर मैंने अपना नाम सौम्य प्रधान रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां—कहीं भी मेरा नाम शिवांक प्रधान दर्ज हो उसे परिवर्तित कर सौम्य प्रधान (SOUMYA PRADHAN) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सौम्य प्रधान)
पिता— शिवकुमार प्रधान
पता— एम.ए.—44, धनवंतरी नगर रोड,
पुरवा जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-1252)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शिवांक मारवाडी (SHIVANK MARWADI) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम शिवांश मारवाडी (SHIVANSH MARWADI) दर्ज हो गया है. शिवांक मारवाडी (SHIVANK MARWADI) और शिवांश मारवाडी (SHIVANSH MARWADI) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम शिवांश मारवाडी (SHIVANSH MARWADI) के स्थान पर शिवांक मारवाडी (SHIVANK MARWADI) पुत्र कुलदीप मारवाडी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कुलदीप मारवाडी)

पुत्र– सतीश मारवाडी

निवासी– यादव कॉलोनी नं. 1,

नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1253)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम दाग श्री (DAG SHRI) है. यही नाम मेरे पति के सर्विस रिकार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा घरू नाम राजाबेटी (RAJABETI) दर्ज हो गया है. दाग श्री (DAG SHRI) और राजाबेटी (RAJABETI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजाबेटी (RAJABETI) के स्थान पर दाग श्री (DAG SHRI) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे दाग श्री (DAG SHRI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजाबेटी)	**(दाग श्री)**
(RAJABETI)	(DAG SHRI)
	पत्नी– ऊदल
	निवासी– ग्राम नगरा, पोरसा,
	जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1254)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम JITENDRA KUMAR GUPTA है. यही नाम की स्पेलिंग मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी 10वीं की मार्कशीट में मेरे नाम की स्पेलिंग JETENDRA KUMAR GUPTA एवं 12वीं की मार्कशीट में JEETENDRA KUMAR GUPTA दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग JITENDRA KUMAR GUPTA के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(JETENDRA KUMAR GUPTA/	(JITENDRA KUMAR GUPTA)
JEETENDRA KUMAR GUPTA)	S/o. BADRI PRASAD GUPTA
	R/o.- 115, Sirsa, Seondha, Datia (M.P.).

(G-1255)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम प्रिन्स साहू पिता श्री केदारनाथ साहू, वर्तमान पता– 92, सरस्वती स्कूल, कंटगी कॉटी, कंटगी, जिला जबलपुर, (म.प्र.). ने बदलकर पंकज साहू कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में प्रिन्स साहू नाम के स्थान पर पंकज साहू के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(प्रिन्स साहू) — **(पंकज साहू).**

(G-1256)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम फिल्जा खान पिता आसिफ खान (FILZA KHAN D/o. ASIF KHAN), निवासी– मकान नं.08, सेक्टर बी, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हयात पिता आसिफ खान (HAYAT D/o. ASIF KHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को फिल्जा खान पिता आसिफ खान (FILZA KHAN D/o. ASIF KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(आसिफ खान).

(G-1257)

नाम परिवर्तन

मैं, भंवरलाल केहरवाल (Bhanwar Lal Keharwal), निवासी– 210/2, ग्राम रंभापुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.). आधार कार्ड में मेरा नाम "Bhavar/भवर" तथा पिता का नाम "Mangilal/मंगीलाल" दर्ज है, जो गलत है. मेरा सही नाम Bhanwar Lal Keharwal/भंवरलाल केहरवाल पिता का सही नाम Mangilal Keharwal/मंगीलाल केहरवाल है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड सहित सभी दस्तावेज़ों एवं रिकॉर्ड में मेरा तथा मेरे पिता का नाम उपरोक्त सही विवरण के अनुसार ही दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(भंवरलाल केहरवाल)

(Bhanwar Lal Keharwal).

(G-1258)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम मिनाक्षी जाटव पिता मुकेश जाटव (MEENAKSHI JATAV D/o. MUKESH JATAV) निवासी– नसिंहगढ, राजगढ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मिन्शी पिता संगीता (MINSHI D/o. SANGEETA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम मिनाक्षी जाटव पिता मुकेश जाटव (MEENAKSHI JATAV D/o. MUKESH JATAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश जाटव)

पिता– रमेश.

(G-1259)

नाम परिवर्तन

मैं, समीना इल्यास मुबीन पत्नी मोहम्मद मुबीन शागिल, निवासी–एच–45, 74 बंगलो के पास, निशात कॉलोनी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद अमीन (MOHAMMAD AMEEN) है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं सभी अंकसूचियों में माता का नाम त्रुटिवश समीना ई. मुबीन एवं पिता का नाम मो. मुबीन दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम समीना इल्यास मुबीन है एवं मेरे पति का नाम मोहम्मद मुबीन शागिल है, जो कि हमारे आधार कार्ड एवं हमारे अंकसूचियों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में पुत्र का नाम मोहम्मद अमीन (MOHAMMAD AMEEN) एवं मेरा नाम समीना इल्यास मुबीन (SAMINA ELYAS MUBEEN) एवं मेरे पति का नाम मोहम्मद मुबीन शागिल (MOHAMMED MUBEEN SHAGIL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(समीना इल्यास मुबीन)

(SAMINA ELYAS MUBEEN)

पति– मोहम्मद मुबीन शागिल

(G-1260) (MOHAMMED MUBEEN SHAGIL).

नाम परिवर्तन

मैं, समीना इल्यास मुबीन पत्नी मोहम्मद मुबीन शागिल, निवासी–एच–45, 74 बंगलो के पास, निशात कॉलोनी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आयमा मुबीन (AYEMA MUBEEN) है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं सभी अंकसूचियों में माता का नाम त्रुटिवश समीना ई. मुबीन एवं पिता का नाम मो. मुबीन दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम समीना इल्यास मुबीन है एवं मेरे पति का नाम मोहम्मद मुबीन शागिल है, जो कि हमारे आधार कार्ड एवं हमारे अंकसूचियों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा नाम समीना इल्यास मुबीन (SAMINA ELYAS MUBEEN) एवं मेरे पति का नाम मोहम्मद मुबीन शागिल (MOHAMMED MUBEEN SHAGIL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(समीना इल्यास मुबीन)

(SAMINA ELYAS MUBEEN)

पति– मोहम्मद मुबीन शागिल

(G-1261) (MOHAMMED MUBEEN SHAGIL).

नाम परिवर्तन

मैं, उत्तम सिंह मीणा पुत्र श्री गोपाल सिंह मीणा, निवासी– 12/1, मेन रोड स्कूल के पास, सारसी, नहाराई, शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम करूणा मीणा (Karuna Meena) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम अरूणा मीणा (Aruna Meena) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम करूणा मीणा (Karuna Meena) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1262) **(उत्तम सिंह मीणा).**

नाम परिवर्तन

मैं, जानकीलाल लोधा आत्मज श्री राधाकिशन, निवासी–ग्राम खेजडारामा, कुंभराज, जिला गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम जानकीलाल लोधा (Jankilal Lodha) है, परंतु आधार कार्ड में मेरा नाम गोपाल सिंह यादव (Gopal Singh Yadav) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम जानकीलाल लोधा (Jankilal Lodha) के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे एवं बच्चों के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोपाल सिंह यादव)	**(जानकीलाल लोधा)**
(Gopal Singh Yadav)	(Jankilal Lodha).

(G-1263)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्की विश्वकर्मा (LUCKY VISHWAKARMA) पिता मोहन विश्वकर्मा, निवासी– 302, सागर सिटी कालोनी, गौर शादी हाल, विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम LAKKY VISHWAKARMA पिता मोहन विश्वकर्मा दर्ज है. स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम लक्की विश्वकर्मा (LUCKY VISHWAKARMA) पिता मोहन विश्वकर्मा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम LAKKY VISHWAKARMA पिता मोहन विश्वकर्मा दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा सही नाम लक्की विश्वकर्मा (LUCKY VISHWAKARMA) पिता मोहन विश्वकर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(LAKKY VISHWAKARMA)	**(लक्की विश्वकर्मा)**
	(LUCKY VISHWAKARMA)
	पिता– मोहन विश्वकर्मा.

(G-1264)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेश परमार पिता ढोकल परमार, पता–अंजनी नगर इंगोरिया रोड, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री आध्या परमार (AADHYA PARMAR) जिसका जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची, अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में आध्या परमार (AADHYA PARMAR) दर्ज है, जो कि सही है. जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम विआना परमार (VIAANA PARMAR) दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम आध्या परमार (AADHYA PARMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लोकेश परमार)

पिता– ढोकल परमार.

(G-1265)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मीकांत परमार पुत्र श्री अनूप लाल परमार, निवासी – ग्राम खैरीमाल, पोस्ट चांबी, तहसील घुघरी, जिला मण्डला (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आयुष कुमार झारिया Ayush Kumar Jhariya दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अमन परमार Aman Parmar पुत्र लक्ष्मीकांत परमार Laxmikant Parmar है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम अमन परमार Aman Parmar पुत्र लक्ष्मीकांत परमार Laxmikant Parmar के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लक्ष्मीकांत परमार)

पिता– श्री अनूप लाल.

(G-1266)

आम सूचना

फर्म सन तमगो फर्म के भागीदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म का पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0148–19, दिनांक 16 जुलाई 2019 पर पंजीयत है. उक्त फर्म में पंजीकृत भागीदारी विलेख दिनांक 27.08.2018 में भागीदार क्रमांक 1 श्रीमती संगीता कुमारी भागीदार क्रमांक 2 श्रीमती संतोष गोस्वामी एवं भागीदार क्रमांक 3 श्रीमती श्वेता दत्ता हैं. फर्म में निष्पादित संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 17.07.2025 के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री मोतीलाल सिंह एवं भागीदार कु. मेघल सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह नवीन भगीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त दिनांक को ही भागीदार श्रीमती संगीता कुमारी, भागीदार श्रीमती संतोष गोस्वामी एवं भागीदार श्रीमती श्वेता दत्ता स्वेच्छा से उक्त फर्म से सेवानिवृत्त हो गए हैं. भागीदारी विलेख दिनांक 17.07.2025 को ही फर्म का पंजीकृत पता– जो की SB DREAM HOMES SANKHEDI 24, KOLAR ROAD, भोपाल है को परिवर्तित कर Ground Floor, 26, Red Square Colony, Bhabha College Road, Jatkhedi, Bhopal–462047 सर्वसम्मति से निष्पादित किया गया है.

अतः, उपरोक्तानुसार भागीदारी फर्म का संचालन भागीदार श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री मोतीलाल सिंह एवं भागीदार कु. मेघल सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह द्वारा किया जावेगा तथा फर्म का संचालन फर्म के नवीन पते– Ground Floor, 26 Red Square Colony, Bhabha College Road, Jatkhedi Bhopal–462047 से किया जावेगा.

फर्म – सन तमगो फर्म

महेन्द्र सिंह

(भागीदार).

(G-1267)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अक्षितराज यादव (AKSHITRAJ YADAV) है, जो कि मेरे बैंक की पास बुक, मार्कशीट जन्म प्रमाण--पत्र दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम आकाश यादव दर्ज हो गया है. आकाश यादव और अक्षितराज यादव मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आकाश यादव (AKASH YADAV) के स्थान पर अक्षितराज यादव (AKSHITRAJ YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आकाश यादव)	**(अक्षितराज यादव)**
(AKASH YADAV)	(AKSHITRAJ YADAV)
	पिता– बेताल यादव
	(BETAL YADAV)
	निवासी– ग्राम मडराई, सिकरौदी, बानमोर,
	जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1268)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजवीर सिंह (RAJVEER SINGH) है, जो कि मेरे बैक की पास बुक, मार्कशीट खसरा दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम राज यादबासीगोड दर्ज है. राज यादबासीगोड और राजवीर सिंह मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राज यादबासीगोड (RAJ YADBASIGOD) के स्थान पर राजवीर सिंह (RAJVEER SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज यादबासीगोड)	**(राजवीर सिंह)**
(RAJ YADBASIGOD)	(RAJVEER SINGH)
	पिता– श्री जयपाल सिंह
	(JAYPAL SINGH)
(G-1269)	निवासी– 115/1, खुरैरी, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम दीक्षा रावत है, जो कि मेरे बैंक की पास बुक, मार्कसीट जन्म प्रमाण–पत्र दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम दिशा दर्ज है. दिशा और दीक्षा रावत मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दिशा (DISHA) के स्थान पर दीक्षा रावत (DIKSHA RAWAT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दिशा)	**(दीक्षा रावत)**
(DISHA)	(DIKSHA RAWAT)
	पिता– विष्णु रावत
	(VISHNU RAWAT)
	निवासी– गुडा गुडी का नाका, राजीव नगर,
(G-1270)	कम्पू, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN) है, जो कि मेरे रजिस्ट्री, बैक की पास बुक, खसरा दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम ऊर्मिला जैन दर्ज है. ऊर्मिला जैन और रामढकेली जैन दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ऊर्मिला जैन (URMILA JAIN) के स्थान पर रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ऊर्मिला जैन)	**(रामढकेली जैन)**
(URMILA JAIN)	(RAMDHAKELI JAIN)
	पति– श्री राजेन्द्र जैन
	(RAJENDRA JAIN)
	निवासी– वार्ड नं. 11, सेवडा, मौ,
(G-1271)	जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शांति देवी (SHANTI DEVI) है, जो कि मेरे पति श्री स्व. कृष्ण बिहारी जी के पी.पी.ओ, बैंक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम शांति देवी दर्ज है. शांति देवी (SHATI DEVI) और शांति देवी (SHANTI DEVI) दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम शांति देवी (SHATI DEVI) के स्थान पर शांति देवी (SHANTI DEVI) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे शांति देवी (SHANTI DEVI) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शांति देवी)
(SHATI DEVI)

नया नाम
(शांति देवी)
(SHANTI DEVI)
पति- श्री स्व. कृष्ण बिहारी
(KRISHNA VIHARI)
निवासी- बरूअनपुर, लहार, आडूपुरा, लहर,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-1272)

CHANGE OF NAME

I Sheela Gupta W/o. Gopal Kanthali here by Declare That I have changed My Name Sheela Kanthali W/o. Gopal Kanthali so, from now and in future I will be known by my new name Sheela Kanthali W/o. Gopal Kanthali.

Old Name
(Sheela Gupta)

New Name
(Sheela Kanthali)
W/o. Gopal Kanthali
Add.- 146, Vindhyanchal Nagar,
Airport Road, Indore (M.P.).

(G-1273)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Yug Garhwal S/o. Pankaj Garhwal has been changed to Yash Garhwal S/o. Pankaj Garhwal Therefore, in future my Son will be known by the her new name only.

Old Name
(Yug Garhwal)

New Name
(Yash Garhwal)
S/o. Pankaj Garhwal
Add.- 71-4, Sanvid Nagar,
Kanadia Road, Indore (M.P.).

(G-1274)

CHANGE OF NAME

I Nilesh Majmundar S/o. Mohit Majmundar here by Declare That I have changed My Name Nilesh Mathur S/o. Mohit Majmundar so, from now and in future I will be known by my new name Nilesh Mathur S/o Mohit Majmundar.

Old Name
(Nilesh Majmundar)

New Name
(Nilesh Mathur)
S/o. Mohit Majmundar
Add.- 116, Shalimar Swayam
Bungalow Enclave, Near MR-10 Square,
Indore, P.O. Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(G-1275)

CHANGE OF NAME

I KHUSHI MENDIRATA W/o. SUNNY MENDIRATA here by Declare That I have changed My name as SONAM MENDIRATA W/o. SUNNY MENDIRATA so, from now and in future I will be known by my new name as SONAM MENDIRATA W/o. SUNNY MENDIRATA

Old Name	New Name
(KHUSHI MEDIRATA)	**(SONAM MENDIRATA)**
	W/o. SUNNY MENDIRATA
	Add.- 95, Sachidanand Nagar,
(G-1276)	RTO office, Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I Sharma Nath S/o. Tarachand here by Declare That I have changed My Name Karan Vyas S/o. Tarachand so, from now and in future I will be known by my new name Karan Vyas S/o. Tarachand.

Old Name	New Name
(Sharma Nath)	**(Karan Vyas)**
	S/o. Tarachand
	Add.- 146, Vijayganj Mandi,
(G-1277)	Bhaisuni, Dewas (M.P.).

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Daughter previous name Aarna Mehta D/o. Hemant Kumar Jain has been changed to Aarna Jain D/o. Hemant Kumar Jain Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Old Name	New Name
(Aarna Mehta)	**(Aarna Jain)**
	D/o. Hemant Kumar Jain
	Add.- 87, Vidhya Nagar,
(G-1278)	Ujjain (M.P.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, गया अतुलकर पति राजू अतुलकर यह घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम गया बाई जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतुलकर मेरा सरनेम है. जिसे मैं, हटाना चाहती हूं और उसके स्थान पर बाई जोड़ना चाहती हूं. अब सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मुझे गया बाई के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गया अतुलकर)	**(गया बाई)**
	पति– राजू अतुलकर
	निवासी– आमला, तह. आमला,
(G-1279)	जिला बैतूल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भूरी बाई पति हरीशचंद, मेरे आधार कार्ड में नाम भूरी बाई हुडे पति हरिशचंद्र दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम बिंदु बाई पति हरिचंद है, जो जन्म प्रमाण–पत्र, वोटर कार्ड, पेंशन डिटेल में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय और शासकीय दस्तावेजों में मुझे बिंदु बाई पति हरिचंद के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भूरी बाई हुडे)	**(बिंदु बाई)**
पति– हरिशचन्द	पति– हरिचंद
	पता– केदार खेड़ा, आमला
(G-1280)	जिला बैतूल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I Vipin Banwat S/o. Prassan Kumar Banwat here by Declare That, I have changed My Name Vipin Kumar Banwat S/o. Prassan Kumar Banwat so, from now and in future I will be known by my new name Vipin Kumar Banwat S/o. Prassan Kumar Banwat.

Old Name	New Name
(Vipin Banwat)	**(Vipin Kumar Banwat)**
	S/o. Prassan Kumar Banwat
	Add.- 131, Manas Bhawan Road,
(G-1281)	Najar Ganj, Ashta, Sehore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I Bajrangi Lal Charmkar S/o. Jageshwar Prasad here by Declare That I have changed My Name Bajrangi Lal Verma S/o. Jageshwar Prasad so, from now and in future I will be known by my new name Bajrangi Lal Verma S/o. Jageshwar Prasad.

Old Name	New Name
(Bajrangi Lal Charmkar)	**(Bajrangi Lal Verma)**
	S/o. Jageshwar Prasad
	Add.- Gram Barah, Post Koniya Kala,
(G-1282)	Rewa (M.P.).

CHANGE OF NAME

I Sangita Bai W/o. Suresh Here By Declare That I Have Changed My Name As Rekha Chouhan W/o. Suresh Chouhan So, From Now And In Future I Will Be Known By My New Name As Rekha Chouhan W/o. Suresh Chouhan.

Old Name	New Name
(Sangita Bai)	**(Rekha Chouhan)**
W/o. Suresh	W/o. Suresh Chouhan
	Add.- 217, Jamburdihapsi,
(G-1283)	Dist. Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I Gopal Gupta S/o. Balkrishan Kanthali here by Declare That I have changed My Name Gopal Kanthali S/o. Balkrishan Kanthali so, from now and in future I will be known by my new name Gopal Kanthali S/o. Balkrishan Kanthali

Old Name — New Name

(Gopal Gupta) — **(Gopal Kanthali)**

S/o. Balkrishan Kanthali
Add.- 146, Vindhyanchal Nagar,
Airport Road, Indore (M.P.).

(G-1284)

CHANGE OF NAME

I Priyanka Bandi W/o. Vinay Bandi here by Declare That I have changed My Name Priyanka Shah D/o. Mahendra Shah so, from now and in future I will be known by my new name Priyanka Shah D/o. Mahendra Shah.

Old Name — New Name

(Priyanka Bandi) — **(Priyanka shah)**

D/o. Mahendra Shah.

(G-1285)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Regency Polymers Registered office at 611, Bajrang Nagar, Indore M.P. 452011 and Registration No is 03/27/01/0402/26 Dated 21/01/2026, which was constituted vide Partnership deed executed on 26/12/2013.

In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 01/04/2017 (Vide deed executed on 17/11/2017), 1. Shri Ankit Bharuka S/o. Shri Mohit Bharuka and 2. Shri Vishal Balwani S/o. Shri Purushottamdasji Balwani Karta of Vishal Balwani & son's HUF have voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Deepak Sen S/o. Shri Omprakash Sen has joined the firm as a new partner. w.e.f. 01/04/2017

Now 1. Shri Omprakash Sen S/o. Shri Bansilalji Sen And 2. Shri Deepak Sen S/o. Shri Omprakash Sen are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. Regency Polymers

Omprakash Sen
(Partner).

(G-1286)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम संगीता दन्तोदिया जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में लिखा हुआ है और कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अलका दन्तोदिया लिखा हुआ है, जो कि मेरा घर नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम संगीता दन्तोदिया ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(अलका दन्तोदिया) — **(संगीता दन्तोदिया)**

पति– महेश दन्तोदिया
पता– 82, भगत सिंह नगर, नई बस्ती,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1287)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रामकिशन (Ramkishan) है, मेरी पुत्री वंदना उमठ की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा गलत नाम रामकृष्ण उमठ (Ramkrishna Umath) लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री की कक्षा 10वीं की अंकसूची सहित मेरी पुत्री के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामकिशन (Ramkishan) ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामकृष्ण उमठ)	**(रामकिशन)**
(Ramkrishna Umath)	(Ramkishan)
	पता– विवेकानंद कॉलोनी, आगर,
	जिला आगर–मालवा (म.प्र.).

(G-1288)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश साहू आत्मज श्री वीरभान साहू, निवासी– म.नं. 04, अशोक नगर, पुल बोगदा, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम राकेश साहू (Rakesh Sahu) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राकेश (Rakesh) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सही नाम राकेश साहू (Rakesh Sahu) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश)	**(राकेश साहू)**
(Rakesh)	(Rakesh Sahu).

(G-1289)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विजय कुमार भादु पिता रामप्रसाद भादु है. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विजय पिता रामचंद्र लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम विजय कुमार भादु पिता रामप्रसाद भादु ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विजय)	**(विजय कुमार भादु)**
पिता– रामचंद्र	पिता– रामप्रसाद भादु
	पता– ग्राम गुणावद, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-1290)

नाम परिवर्तन

मैं, विशाल शिवहरे पुत्र अशोक शिवहरे, पता–पिछाडी, डियोढी, ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र दस्तावेजों में उसका नाम RUHI SHIVAHRE रूही शिवहरे पुत्री विशाल शिवहरे त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जब कि मेरी पुत्री का सही नाम अंग्रेजी में SHRUTI SHIVHARE श्रुति शिवहरे पुत्री विशाल शिवहरे है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम SHRUTI SHIVHARE श्रुति शिवहरे पुत्री विशाल शिवहरे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विशाल शिवहरे).

(G-1291)

नाम परिवर्तन

मैं, शांति देवी, पता—सैनिक कॉलोनी, पिंटो पार्क, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड दस्तावेजों में मेरा नाम अंग्रेजी में SHANTI DEVI (शांति देवी) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंग्रेजी में SANTI DEVI (शांति देवी) है, जो कि मेरे नौकरी के शासकीय दस्तावेजों, पी.पी.ओ. में अंकित है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम SANTI DEVI (शांति देवी) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(शांतिदेवी).

(G-1292)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कंठश्री (KANTHSRI) है, जो कि मेरे पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर, एक्स सर्विसमेन कान्ट्रीव्यूटरी हेल्थ स्कीम, आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कंठवती (KANTHAVATI) त्रुटिवश दर्ज हो गया है दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम कंठश्री (KANTHSRI) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे कंठश्री (KANTHSRI) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कंठवती)	**(कंठश्री)**
(KANTHAVATI)	(KANTHSRI)
	पत्नी— श्री राम प्रकाश सिंह
(G-1293)	पता— बडापुरा, उसेत, मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति राजपूत, मेरी पुत्री का नाम पहले अनूप था. उसके सभी दस्तावेजों में उसका परिवर्तित नाम SAGUN KUMARI RAJPUT दर्ज है, जो कि सही है. यह दोनों नाम "अनूप" (ANOOP) और "सगुन कुमारी राजपूत" (SAGUN KUMARI RAJPUT) मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सभी शैक्षणिक / शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में सगुन कुमारी राजपूत के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(प्रीति राजपूत)

पता— ग्राम हिरनखेड़ी, तरावली कलां,

जिला भेपाल (म.प्र.).

(G-1294)

उपनाम परिवर्तन

मैं, ओमकार नामदेव पुत्र रामदयाल नामदेव, निवासी— आशीष ऑयल के सामने, दयानन्द वार्ड, सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम ओमकार नामदेव (OMKAR NAMDEV) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम ओमकार रजक (OMKAR RAJAK) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सही नाम ओमकार नामदेव के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओमकार रजक)	**(ओमकार नामदेव)**
(OMKAR RAJAK)	(OMKAR NAMDEV)

(G-1295)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शहादत बेग (SHAHADAT BEG) पिता कादर बेग है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सादत (SADAT) पिता कादर बेग दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम शहादत बेग (SHAHADAT BEG) पिता कादर बेग है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शहादत बेग (SHAHADAT BEG) पिता कादर बेग के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कादर बेग)

पता– 298, अक्लोनी मेहगांव,
अकलोनी, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-1296)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम श्रुति राठौड (SHRUTI RATHOD) पिता महेश राठौड है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुरती (SURTI) पिता महेश राठौड दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रुति राठौड (SHRUTI RATHOD) पिता महेश राठौड लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुरती)

(SURTI)

नया नाम

(श्रुति राठौड)

(SHRUTI RATHOD)

पिता– महेश राठौड

पता– 46, विकाश नगर,
मुसाखेडी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1297)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ओशिन दुबे (OSHIN DUBEY) पति रजत दुबे था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री रजत दुबे से विवाह विच्छेद होने के पश्चात् मेरा द्वितीय विवाह श्री मयंक अरोरा से होने के उपरान्त मेरा नाम ओशिन अरोरा (OSHIN ARORA) पति श्री मयंक अरोरा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम ओशिन अरोरा (OSHIN ARORA) पति श्री मयंक अरोरा लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ओशिन दुबे)

(OSHIN DUBEY)

नया नाम

(ओशिन अरोरा)

(OSHIN ARORA)

पति– श्री मयंक अरोरा

पता– बी 136, समर पार्क कॉलोनी,
निपानिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1298)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या बाहेती (AARADHAYA BAHETI) है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आराध्या माहेश्वरी (ARADHYA MAHESHWARI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम आराध्या बाहेती (AARADHAYA BAHETI) लिखा–पढ़ा जावे और इसी नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(अंजलि)

पता– सीएम–190, सुखलिया कॉलोनी,
सुखलिया, पलक मेडिकल के पीछे,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1299)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S. KHANDELWAL CONSTRUCTION CO SHIVPURI जिसका पंजीयन क्रमांक 02–41–01–0090–16, दिनांक 27.08.2016 है. जो कि 01, COURT ROAD, NEAR FRUIT, MANDI, SHIVPURI (म.प्र.) में स्थित है. जिसमे दिनांक 01/04/2025 को श्रीमती रश्मि खंडेलवाल पत्नी श्री मनीष खंडेलवाल, निवासी– 01, कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है एवं दिनांक 19/06/2025 को भागीदार श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल पुत्र श्री नारायण दास खंडेलवाल, निवासी– कोर्ट रोड, शिवपुरी (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गये हैं एवं दिनांक 18/08/2025 को श्रीमती कृष्णा खंडेलवाल पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल, निवासी– कोर्ट रोड, शिवपुरी (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप मे सम्मिलित हो गयी हैं.

M/S. KHANDELWAL CONSTRUCTION CO

मनीष खंडेलवाल

(भागीदार)

Add.- 01, COURT ROAD, NEAR FRUIT,
MANDI, SHIVPURI (M.P.).

(G-1300)

नाम परिवर्तन

मैं, राजू शर्मा (RAJU SHARMA) पुत्र श्री खेरू राम शर्मा, मेरे पुत्र का घर का नाम आयुष शर्मा (AAYUSH SHARMA) था, जो उसके आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को शिवा शर्मा (SHIVA SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में लिखा गया है आयुष शर्मा एवं शिवा शर्मा दोनों मेरे ही पुत्र के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. में उसका नाम आयुष शर्मा के स्थान पर शिवा शर्मा लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजू शर्मा)

पुत्र– श्री खेरू राम शर्मा
पता– गायत्री कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-1301)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेरणा लखवानी (PRERNA LAKHWANI) पत्नी श्री ओमप्रकाश लखवानी, मेरा पूर्व का नाम सीमा बगजाई (SEEMA BAGZAI) था, जो वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रेरणा लखवानी पत्नी श्री ओमप्रकाश लखवानी के नाम से जानी–पहचानी हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है प्रेरणा लखवानी एवं सीमा बगजाई दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम सीमा बगजाई के स्थान पर प्रेरणा लखवानी लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सीमा बगजाई)

नया नाम

(प्रेरणा लखवनी)

पत्नी– श्री ओमप्रकाश लखवानी

पता– हेलीपेड कॉलोनी, गऊ शाला रोशनी,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1302)

नाम परिवर्तन

मैं, करन सिंह सिकरवार (KARAN SINGH SIKARWAR) पुत्र श्री पूरन सिंह सिकरवार, मेरे रिलायंस निप्पोन लाईफ इन्श्योरेन्स (RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE) के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरा नाम गलती से रिषभ सिकरवार (RISAV SIKARWAR) लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, करन सिंह सिकरवार के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रिषभ सिकरवार के स्थान पर करन सिंह सिकरवार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(करन सिंह सिकरवार)

पता– जशवंत सिकरवार वाली गली,

शिवनगर, मुरैना (म.प्र.).

(G-1303)

नाम परिवर्तन

मैं, बैजंती (BEJANTI) पत्नी श्री सुरेश, मेरा पूर्व का नाम पूजा चतुर्वेदी (POOJA CHATURVEDI) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, बैजंती पत्नी श्री सुरेश के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. बैजंती एवं पूजा चतुर्वेदी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम पूजा चतुर्वेदी के स्थान पर बैजंती लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पूजा चतुर्वेदी)

नया नाम

(बैजंती)

पत्नी– सुरेश

पता– हैदर गंज, मोमती की कडी,

मामा का बाजार, लश्कर,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1304)

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल खलील (ABDUL KHALEEL) पुत्र अकबर खान, मेरा पूर्व का नाम खलील खान (KHALEEL KHAN) था, जो मेरे बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अब्दुल खलील के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. खलील खान एवं अब्दुल खलील दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम खलील खान के स्थान पर अब्दुल खलील लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(खलील खान)

नया नाम
(अब्दुल खलील)
पुत्र– अकबर खान
पता– ग्राम अचल पुरा,
पोस्ट अचलपुरा, भिण्ड (म.प्र.).

(G-1305)

नाम परिवर्तन

मैं, नैनी केवट (NAINY KEWAT) पत्नी श्री बलिक दास, मेरा पूर्व का नाम मेहंनी (MENNI) था, जो मेरी मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, नैनी केवट पत्नी श्री बलिक दास के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. नैनी केवट एवं मेहंनी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मेहंनी के स्थान पर नैनी केवट लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मेहंनी)

नया नाम
(नैनी केवट)
पत्नी– श्री बलिक दास
पता– ग्राम लक्ष्मणपुरा,
सबलगढ़, अतर, मुरैना (म.प्र.).

(G-1306)

नाम परिवर्तन

मैं, इन्द्रा जोकचंद (INDRA JOKCHAND) पुत्री श्री मोहनलाल, मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल (MOHANLAL) है, जो मेरे आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण–पत्र में लिखा गया है. मेरे पैन कार्ड में गलती से मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल के स्थान पर रमेश (RAMESH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पैन कार्ड में मेरे पिताजी का नाम रमेश के स्थान पर मोहनलाल लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे

प्रार्थिनी
(इन्द्रा जोकचंद)
पता– नगर कुक्षी,
जिला– धार (म.प्र.).

(G-1307)

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम धाकड (RADHESHYAM DHAKAD) पुत्र श्री बालाराम धाकड, मेरे पिताजी का नाम बालाराम धाकड (BALARAM DHAKAD) है, जो मेरे आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में लिखा गया है. मेरे पैन कार्ड में गलती से मेरे पिताजी का नाम बालाराम धाकड के स्थान पर बलवंत (BALVANT) हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पैन कार्ड में मेरे पिताजी का नाम बलवंत के स्थान पर बालाराम धाकड लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राधेश्याम धाकड)

पता– 520, ग्राम बांगरोद, तह. रतलाम,
बांगरोद, रतलाम (म.प्र.).

(G-1308)

नाम परिवर्तन

मैं, विराट बौहरे (VIRAT BOHRE) पुत्र श्री पूरन सिंह, मेरा पूर्व में नाम शंकर जाटव (SHANKAR JATAV) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में विराट बौहरे पुत्र श्री शंकर जाटव के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विराट बौहरे एवं शंकर जाटव दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शंकर जाटव के स्थान पर विराट बौहरे लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शंकर जाटव)

नया नाम

(विराट बौहरे)

पुत्र– श्री पूरन सिंह
पता– शंकर बस्ती, गोल पहाडिया,
लश्कर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1309)

नाम परिवर्तन

मैं, राम शुक्ला (RAM SHUKLA) पुत्र श्री कृष्ण चंद्र शुक्ला, मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम राम कृष्ण शुक्ला गलती से लिख गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में राम शुक्ला के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे सभी प्रपत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि में लिखा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा सही नाम राम शुक्ला लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राम शुक्ला)

पता– 325, मॉडल टाऊन, सिटी सेंटर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1310)

नाम परिवर्तन

मैं, बन्टी कुशवाह (BANTI KUSHWAH) पुत्र श्री रामरतन कुशवाह मेरा पूर्व में नाम रघुवीर सिंह कुशवाह (RAGHUVEER SINGH KUSHWAH) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में बन्टी कुशवाह पुत्र श्री रामरतन कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. बन्टी कुशवाह एवं रघुवीर सिंह कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पॉलिसी में मेरा नाम रघुवीर सिंह कुशवाह के स्थान पर बन्टी कुशवाह लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रघुवीर सिंह कुशवाह)

नया नाम

(बन्टी कुशवाह)

पुत्र– श्री रामरतन कुशवाह
पता– विलेज जसलामनी, पोस्ट बामसोली,
सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.).

(G-1311)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवती कुशवाह (BHAGWATI KUSHWAH) पुत्र श्री दिलीप कुशवाह, मेरी पुत्री का नाम अनन्या कुशवाह (ANANYA KUSHWAH) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में गलती से उसका नाम गौरी (GORI) लिख गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री को अनन्या कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो उसके शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम गौरी के स्थान पर सही नाम अनन्या कुशवाह लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भगवती कुशवाह)

पुत्र– श्री दिलीप कुशवाह

पता– ग्राम मेघपुरा, अगारा,

श्योपुर (म.प्र.).

(G-1312)

नाम परिवर्तन

मैं, अमित निगम (AMIT NIGAM) पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निगम, मेरे पिताजी का नाम सुरेन्द्र कुमार निगम (SURENDRA KUMAR NIGAM) है. जबकि मेरे पैन कार्ड में मेरे पिताजी का नाम गलती से सुरेश कुमार निगम (SURESH KUMAR NIGAM) लिख गया है, जो कि गलत है. वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पिताजी को सुरेन्द्र कुमार निगम के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पैन कार्ड में मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार निगम के स्थान पर सही सुरेन्द्र कुमार निगम लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमित निगम)

पता– 47, रिद्धी सिद्धी कॉलोनी,

विरयाखेड़ी नियर, रतलाम पब्लिक स्कूल,

जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-1313)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विवेक कुमार गुप्ता (VIVEK KUMAR GUPTA), मेरे पुत्र का नाम शुभ कुमार गुप्ता (SHUBH KUMAR GUPTA) है, जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम गलती से शुभ कुमार मंगल (SHUBH KUMAR MANGAL) लिख गया है, जो कि गलत है. वर्तमान एंव भविष्य में मेरे पुत्र को शुभ कुमार गुप्ता के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो उसके शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एंव अन्य प्रपत्रों में लिखा गया हैं शुभ कुमार गुप्ता एवं शुभ कुमार मंगल दोनो मेरे ही पुत्र के नाम है अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम शुभ कुमार मंगल के स्थान पर सही नाम शुभ कुमार गुप्ता लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विवेक कुमार गुप्ता)

पता– जवाहर मार्ग, केलारस, मुरैना (म.प्र.).

(G-1314)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकित शाक्य (ANKIT SHAKYA) पुत्र श्री रामकिशन शाक्य, मेरा पूर्व में नाम अनिल शाक्य (ANIL SHAKYA) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में अंकित शाक्य पुत्र श्री रामकिशन शाक्य के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अनिल शाक्य एवं अंकित शाक्य दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अनिल शाक्य के स्थान पर सही नाम अंकित शाक्य लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल शाक्य)	**(अंकित शाक्य)**
	पुत्र– श्री रामकिशन शाक्य
	पता– ग्राम बिचपुरी, दोर्द,
(G-1315)	जिला श्योपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्ना लाल (MUNNA LAL) मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बुंदेल सिंह (BUNDEL SINGH) त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है, अतः मेरे परिचय–पत्र एवं पैन कार्ड में मेरा नाम मुन्ना लाल दर्ज है, जो कि सही है. मुन्ना लाल और बुंदेल सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अर्थात् मेरे स्वयं के नाम है अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मुन्ना लाल के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बुंदेल सिंह)	**(मुन्ना लाल)**
(BUNDEL SINGH)	(MUNNA LAL)
	पिता– नवल सिंह
	पता– ग्राम वर्धा, पोस्ट वर्धा,
(G-1316)	तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कमसन बी (KAMASAN BEE) मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमरून बी (KAMRUN BI) त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में मेरा नाम कमसन बी दर्ज है, जो कि सही है. कमसन बी और कमरून बी दोनों एक ही महिला के नाम हैं अर्थात् मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कमसन बी के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमरून बी)	**(कमसन बी)**
(KAMRUN BI)	(KAMASAN BEE)
	पति– सरीफ खां
	पता– ग्राम सलुश, बाला बरखेड़ा,
(G-1317)	विदिशा, बाला बरखेड़ा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश पाल मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राधिका पाल (RADHIKA PAAL) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में गिंदा पाल (GINDA PAL) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही गिंदा पाल (GINDA PAL) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधिका पाल)	**(गिंदा पाल)**
(RADHIKA PAAL)	(GINDA PAL)
	पिता– जगदीश पाल
	पता– ग्राम कसबा खेड़ी,
(G-1318)	जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रशीद खान मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मोहम्मद शाहद मंसूरी (MOHAMMAD SHAHAD MANSURI) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में साद खान (SAAD KHAN) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम साद खान (SAAD KHAN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहम्मद शाहद मंसूरी)	**(साद खान)**
(MOHAMMAD SHAHAD MANSURI)	(SAAD KHAN)
	पिता– रशीद खान
	पता– मकान नं. 34, शमशाबाद,
(G-1319)	जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, विवेक श्रीवास्तव मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम ओम श्रीवास्तव (OM SHRIVASTAVA) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में वेद श्रीवास्तव (VED SHRIVASTAVA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम वेद श्रीवास्तव (VED SHRIVASTAVA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओम श्रीवास्तव)	**(वेद श्रीवास्तव)**
(OM SHRIVASTAVA)	(VED SHRIVASTAVA)
	पिता– विवेक श्रीवास्तव
	पता– म.नं. 86, रिछरा फाटक,
(G-1320)	शिवगीर मार्ग, दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गोलू राजपूत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अवि राजपूत (AVI RAJPUT) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में अभिषेक राजपूत (ABHISHEK RAJPOOT) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक राजपूत (ABHISHEK RAJPOOT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अवि राजपूत)
(AVI RAJPUT)

नया नाम
(अभिषेक राजपूत)
(ABHISHEK RAJPOOT)
पिता– गोलू राजपूत
पता– म.नं. 39, वार्ड नं. 01,
पचगोडिया, डोंगर, गोतीपुर,
गुना, राघोगढ़ (म.प्र.).

(G-1321)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश लोधी मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लीला (LILA) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में लीला लोधी (LEELA LODHI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम लीला लोधी (LEELA LODHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लीला)
(LILA)

नया नाम
(लीला लोधी)
(LEELA LODHI)
पिता– राकेश लोधी
पता– गांव नादोर, पोस्ट अंवार,
नाहोर, तह. गुलाबगंज, नान्होर, अम्बर,
विदिशा (म.प्र.).

(G-1322)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्यारीबाई बर्मन पत्नी श्री दिनेश बर्मन, निवासी–ग्राम गोसलपुर गौरैया, निवासी– मोहल्ला, म.नं. 408, वार्ड क्र. 08, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम प्यारीबाई बर्मन है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम वर्षा बर्मन अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम प्यारीबाई बर्मन के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(प्यारीबाई बर्मन)
पत्नी– श्री दिनेश बर्मन.

(G-1323)

नाम परिवर्तन

मैं, रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री श्याम लाल, निवासी– 198, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.). मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम "रामस्वरूप पुत्र श्याम लाल (RAMSWAROOP S/o. SHYAM LAL)" दर्ज है, जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण मेरा नाम "रामस्वरूप सेंगर पुत्र श्री श्याम लाल (RAMSWAROOP SENGAR S/o. SHRI SHYAM LAL)" अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम "रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री श्याम लाल (RAMSWAROOP S/o. LATE SHRI SHYAM LAL)" के नाम से जाना–पहचाना, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामस्वरूप सेंगर)	**(रामस्वरूप)**
(RAMSWAROOP SENGAR)	(RAMSWAROOP)
	पुत्र– स्व. श्री श्याम लाल
(G-1324)	(S/o. LATE SHRI SHYAM LAL).

नाम परिवर्तन

मैं, बबली परमार पिता श्री नेत्रपाल सिंह परमार, निवासी– रानीपुरा, चार सहर का नाका, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.). मेरा नाम बबली परमार (BABLI PARMAR) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आशिकी परमार (ASHIKI PARMAR) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम बबली परमार (BABLI PARMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आशिकी परमार)	**(बबली परमार)**
(ASHIKI PARMAR)	(BABLI PARMAR).

(G-1325)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम पंकज मीना पुत्र श्री ओमप्रकाश मीना, निवासी–खाकरा सबला, खनकरा सबला, राजगढ़ मोया (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पंजक मीना (Panjak Meena) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरे पुत्र का सही नाम पंकज मीना (Pankaj Meena) दर्ज है. पंकज मीना (Pankaj Meena) एवं पंजक मीना (Panjak Meena) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को पंकज मीना (Pankaj Meena) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पंजक मीना)	**(पंकज मीना)**
(Panjak Meena)	(Pankaj Meena).

(G-1326)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम दिव्या गिर है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश रोशनी गिरी पिता अशोक गिर (ROSHNI GIRI D/o. ASHOK GIR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम दिव्या गिर पिता अशोक गिर (DIVYA GIR D/o. ASHOK GIR) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड शासकीय/अशासकीय/दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को दिव्या गिर पिता अशोक गिर (DIVYA GIR D/o. ASHOK GIR) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अशोक गिर)

पिता– श्री छुट्टू गिर.

(G-1327)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री रोनकपुरी के आधार कार्ड में अपडेट कराने पर त्रुटिवश उसका नाम मीणा पिता नन्दकिशोरपुरी अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम रोनकपुरी पिता नन्दकिशोरीपुरी इसी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नन्दकिशोरपुरी)

पता– ग्राम निपानियाखुर्द,
तहसील कालापीपल,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1328)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश साहू आत्मज स्व. श्री लालचंद साहू, निवासी– हनुमान मंदिर के पास, टीलाजमालपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम गोलू साहू है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम हेमंत कुमार उर्फ गोलू हो गया है, तथा हेमंत कुमार उर्फ गोलू एवं गोलू साहू दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम गोलू साहू के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमेश साहू)

आत्मज– स्व. श्री लालचंद साहू.

(G-1329)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल सिंह यादव पुत्र कोदूलाल यादव, निवासी– ग्राम जमुनिा खुर्द, तहसील देवरी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश अरूण यादव (Arun Yadav) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम रोहन यादव (Raohan Yadav) पुत्र कमल सिंह यादव (Kamal Singh Yadav) है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम रोहन यादव (Raohan Yadav) पुत्र कमल सिंह यादव (Kamal Singh Yadav) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(कमल सिंह यादव).

(G-1330)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र वृषभ पिता शैलेश पाटिल का नाम जन्म प्रमाण–पत्र में वृषभ लिखा है, जो कि सही है. त्रुटिवश उसका नाम आधार कार्ड में वेदांत अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम वृषभ पिता शैलेश पाटिल के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शैलेष)

पिता– श्री गोविंदा पाटिल

निवासी– ग्राम उमरदा, तहसील नेपानगर,

पोस्ट सारोला, जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-1331)

उपनाम परिवर्तन

मैं, लोकेश रेचे आ. श्री रमेश रेचे, निवासी–पलस्या, भैंसदेही पलस्या, पल्स्य पलास्य, बैतूल (म.प्र.). मेरा सही नाम लोकेश रेचे (LOKESH RECHE) है, जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लोकेश कुमार (LOKESH KUMAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम लोकेश रेचे (LOKESH RECHE) के नाम से जाना–पहचाना एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लोकेश कुमार)	**(लोकेश रेचे)**
(LOKESH KUMAR)	(LOKESH RECHE)
	आ. श्री रमेश रेचे.

(G-1332)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंश मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी–म.न. 224 ए, स्वास्थ नगर, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पियूष मिश्रा अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम अंश मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अंश मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अंश मिश्रा)

पिता– श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा.

(G-1333)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंशुल मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी–म.नं. 224 ए, स्वास्थ नगर, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आयुष मिश्रा अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम अंशुल मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अंशुल मिश्रा पिता श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अंशुल मिश्रा)

पिता– श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा.

(G-1334)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा पत्नी श्री शिवनारायण (POOJA W/o. SHIVNARAYAN), निवासी म.नं. 56, ग्राम झागर, तहसील कुरवई, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उर्मिला सिंह रावत (URMILA SINGH RAVAT) अंकित हो गया था, जबकि मेरा सही नाम पूजा (POOJA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मेरा सही नाम पूजा (POOJA) के नाम से जानी–पहचानी एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(पूजा)

पत्नी– श्री शिवनारायण.

(G-1335)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र नैतिक राजपूत पुत्र धर्मेंद्र सिंह राजपूत का आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रामचंद्र राजपूत पुत्र धर्मेंद्र राजपूत (RAMCHANDRA RAJPUT S/o. DHARMENDRA RAJPUT) त्रुटिवश अंकित हो गया है. मेरे पुत्र नैतिक राजपूत का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नैतिक राजपूत पुत्र धर्मेंद्र सिंह राजपूत (NAITIK RAJPUT S/o. DHARMENDRA SINGH RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धर्मेंद्र सिंह राजपूत)

पुत्र– रामगुलाम राजपूत

निवासी– ग्राम सतेहरी, तहसील उदयपुरा,

जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1336)

नाम परिवर्तन

मैं, विरेन्द्र पिता श्री शिवलाल, निवासी– वार्ड नं. 20, सूरजाटोला, पोस्ट मोहगांव, धपेरा मोहगांव, धपेरा बालाघाट (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड में नाम त्रुटिवश विरेन्द्र उईके पिता श्री शिवलाल उईके (VIRENDRA UIKEY S/o. SHIVLAL UIKEY) अंकित हो गया है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम विरेन्द्र पिता शिवलाल (VIRENDRA S/o. SHIVLAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विरेन्द्र उईके)	**(विरेन्द्र)**
(VIRENDRA UIKEY)	(VIRENDRA)
पिता– शिवलाल उईके	पिता– श्री शिवलाल
(S/o. SHIVLAL UIKEY)	(S/o. SHIVLAL).

(G-1337)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री गोरधन सिंह, निवासी– ग्राम आगर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम विरेन्द्र सिंह राजपूत (VIRENDRA SINGH RAJPUT) है, जो कि सही है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विरेन्द्र (VIRENDRA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम विरेन्द्र सिंह राजपूत (VIRENDRA SINGH RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेन्द्र सिंह राजपूत).

(G-1338)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार पुत्र श्री अमृतलाल, निवासी– ग्राम तरेनी धाकड़, पोस्ट लश्करपुर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित नागर (ARPIT NAGAR) है, जो कि सही है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंकित (ANKIT) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम अर्पित नागर (ARPIT NAGAR) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1339) **(अनिल कुमार).**

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गुड़िया खान था, जिसे मैं, परिवर्तित कर नया नाम जारा खान (ZARA KHAN) पुत्री श्री रेहमान खान कर लिया है. इससे पूर्व मुझे गुड़िया खान के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम गुड़िया खान लिखा है, उसके स्थान पर नया नाम जारा खान (ZARA KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़िया खान)	**(जारा खान)**
(Gudiya Khan)	(ZARA KHAN).

(G-1340)

नाम परिवर्तन

मैं, नंदनी दया पुत्री श्री पृथ्वी सिंह दया, निवासी– ग्राम नोलाया, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राजनंदनी घोसी (Rajnandni Ghosi) दर्ज हो गया था, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में मेरा नाम नंदनी दया (Nandani Daya) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम नंदनी दया (Nandani Daya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजनंदनी घोसी)	**(नंदनी दया)**
(Rajnandni Ghosi)	(Nandani Daya).

(G-1341)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र कुमार मेरी पुत्री राशि धाकड़ (RASHI DHAKAD) के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश राधिका धाकड़ (RADHIKA DHAKAD) अंकित हो गया है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम राशि धाकड़ (RASHI DHAKAD) है. जो कि उसकी अंकसूची, अन्य दस्तावेजों में सही नाम राशि धाकड़ (RASHI DHAKAD) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम राशि धाकड़ (RASHI DHAKAD) के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र कुमार)
पुत्र– श्री गुमानी लाल
निवासी– ग्राम बॉसखेड़ी, गूगल, पोस्ट गरेंठा,
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1342)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश पटेल आत्मज श्री रामचंद्र पटेल, निवासी– 7405, कारूईखाड बढौना, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम सालिनी पटेल (Salini Patel) है. त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम इसानी पटेल (Ishani Patel) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम सालिनी पटेल (Salini Patel) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिनेश पटेल).

(G-1343)

नाम परिवर्तन

मैं, सौरभ जैन पिता श्री छोटेलाल जैन, निवासी– 168, वृन्दावन पैलेस, पिपल्याकुमार, निपानिया रोड, इंदौर (म.प्र.) मेरा नाम सौरभ कुमार छोटेलाल जैन दर्ज हो गया है, जिसे बदलकर सौरभ जैन करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा यही नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सौरथ जैन).

(G-1344)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम यश मण्डेलिया पिता नंदकिशोर मण्डेलिया (YASH MANDELIYA S/o. NANDKISHOR MANDELIYA), निवासी– एच न. 284, प्रियदर्शनी नगर, चार इमली, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड, में त्रुटिवश नाम हर्ष मण्डेलिया पिता नंदकिशोर मण्डेलिया (HARSH MANDELIYA S/o. NANDKISHOR MANDELIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम यश मण्डेलिया पिता नंदकिशोर मण्डेलिया है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का यश मण्डेलिया पिता नंदकिशोर मण्डेलिया (YASH MANDELIYA S/o. NANDKISHOR MANDELIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नंदकिशोर मण्डेलिया).

(G-1345)

नाम परिवर्तन

मैं, राजपाल सैयाम आत्मज श्री ओझासिंह, निवासी– ग्राम रायखेडा, थाना व तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजपाल (Rajpal) अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची एवं वोटर आई.डी. में मेरा सही नाम राजपाल सैयाम (Rajpal Saiyam) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राजपाल सैयाम (Rajpal Saiyam) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजपाल)	**(राजपाल सैयाम)**
(Rajpal)	(Rajpal Saiyam).

(G-1346)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र में मेरा नाम विजय कुमार लोखंडे पिता गिरधारी लोखंडे दर्ज है, जो सही नाम है, जबकि मेरी 10वीं की अंकसूची में सरनेम लोखंडे दर्ज नही हो पाया है, मैं 10वीं की अंकसूची में सरनेम लोखंडे दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, विजय कुमार लोखंडे पिता गिरधारी लोखंडे के नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विजय कुमार)	**(विजय कुमार लोखंडे)**
	पिता– गिरधारी लोखंडे
	निवासी– शिवाजी वार्ड, कोठी बाजार,
	बैतुल (म.प्र.).

(G-1347)

नाम परिवर्तन

मैं, शिव प्रसाद पिता श्री बिरछा राम, निवासी– म.नं. 1409, वार्ड 59, अन्नानगर, गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवप्रसाद राम पिता वृक्षा राम (SHIVPRASAD RAM S/o. BRIKSHA RAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी., पैन कार्ड एंव स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शिव प्रसाद पिता बिरछा राम (SHIV PRASAD S/o. BIRCHHA RAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवप्रसाद राम)	**(शिव प्रसाद)**
(SHIVPRASAD RAM)	(SHIV PRASAD)
पिता– वृक्षा राम	पिता– बिरछा राम
(S/o. BRIKSHA RAM)	(S/o.BIRCHHA RAM).

(G-1348)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दिनेश कुमार बैस पिता श्री बुद्धसेन बैस, निवासी– ग्राम खैरहणी, पोस्ट मझटोलवा, मझाटोलवा सतना (म.प्र). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम संया द्वेडई पिता दिनेश बैस (SAMYA DWEDAI D/o. DINESH BAIS) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम आकांक्षा बैस पिता श्री दिनेश कुमार बैस (AKANKSHA BAIS D/o. DINESH KUMAR BAIS) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिनेश कुमार बैस)

पिता– श्री बुद्धसेन बैस.

(G-1349)

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेता खन्ना पत्नी श्री गौरव खन्ना, निवासी– ए–269, शाहपुरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम राहिनी जी खन्ना (RAHINE G KHANNA) है, उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राहिनी खन्ना दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम राहिनी जी खन्ना के नाम से जाना–पहचाना एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(श्वेता खन्ना).

(G-1350)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव खन्ना पिता स्व. श्री चंद्र कुमार खन्ना, निवासी– ए–269, शाहपुरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम भाव्या खन्ना (BHAVVYA KHANNA) है उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम इंग्लिश में (BHAVYA KHANNA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाव्या खन्ना (BHAVVYA KHANNA) के नाम से जाना–पहचाना एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गौरव खन्ना).

(G-1351)

नाम परिवर्तन

मैं, शंभू दयाल चौरसिया पिता श्री लछमन प्रसाद चौरसिया, पता 400, वार्ड 8, शीतला माता मंदिर के पास, खिमलासा, जिला सागर (म.प्र.). मेरा पुराना नाम शंभू दयाल चौरसिया था जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सभी शैक्षिणिक/शासकीय/अर्द्धशास्कीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरे सही नाम मुन्नालाल चौरसिया (MUNNALAL CHOURASIYA) से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शंभू दयाल चौरसिया)	**(मुन्नालाल चौरसिया)**
(SHANBHU DAYAL CHOURASIYA)	(MUNNALAL CHOURASIYA).

(G-1352)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम देवराज (DEVRAJ) पिता कमल है, जो कि मेरे पुत्र की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम राहुल गुर्जर (RAHUL GURJAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम देवराज (DEVRAJ) पिता कमल के नाम से जाना–पहचाना एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कमल)

निवासी– ग्राम हरियाणी, तहसील मोमन बडोदिया,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1353)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम अमर लाल था, को परिवर्तित कर मेरा नया नाम अमर लालवानी (Amar Lalwani) पिता स्व. श्री चेतन दास हो गया है. इससे पूर्व मुझे अमर लाल के नाम से जाना और पहचाना जाता था. अब मेरा नया नाम अमर लालवानी (Amar Lalwani) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अमर लालवानी (Amar Lalwani) के नाम से लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अमर लाल)	**(अमर लालवानी)**
(Amar Lal)	(Amar Lalwani).

(G-1354)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय प्रकाश चतुर्वेदी पिता श्री रामकिशोर चतुर्वेदी, निवासी– ग्राम व पोस्ट मसीरा, थाना व तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम सुमित चतुर्वेदी पिता विजय प्रकाश चतुर्वेदी (SUMIT CHATURVEDI S/o. VIJAY PRAKASH CHATURVEDI) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अथर्व चतुर्वेदी पिता विजय प्रकाश चतुर्वेदी (ATHARVA CHATURVEDI S/o. VIJAY PRAKASH CHATURVEDI) दर्ज है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में सुमित चतुर्वेदी पिता विजय प्रकाश चतुर्वेदी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सुमित चतुर्वेदी पिता विजय प्रकाश चतुर्वेदी (SUMIT CHATURVEDI S/o. VIJAY PRAKASH CHATURVEDI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1355) **(विजय प्रकाश चतुर्वेदी).**

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राज कुँवर मेवाडा (RAJ KUNAR MEADA) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम राजकुबर बाई (RAJKUWAR BAI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजकुबर बाई (RAJKUWAR BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज कुँवर मेवाडा)	**(राजकुबर बाई)**
(RAJ KUNAR MEADA)	(RAJKUWAR BAI)
	पत्नी– श्री सुबाक सिंह
	पता– 121, मकवानापुरा, ग्राम खेंडीनगर,
	शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1356)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेन्द्र यादव आत्मज राधेश्याम, निवासी– ग्राम रोलगांव, तहसील हरदा, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम सुजल यादव (SUJAL YADAV) आत्मज शैलेन्द्र यादव है, आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सोम्य आत्मज शैलेन्द्र अंकित हो गया है, अब मैं, उसका नया नाम सुजल यादव (SUJAL YADAV) आत्मज शैलेन्द्र यादव अंकित कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त उसे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शैलेन्द्र यादव).

(G-1357)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवती बाई (BHAGVATI BAI) पति रामरतन चौधरी, निवासी– म.न. 136/1, वार्ड नं. 15, मस्जित के पास, लालपुरा, शाजापुर, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.). जो कि मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भगवंता बाई चौधरी (BHAGVANTA BAI CHOUDHARY) पति रामरतन चौधरी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम भगवती बाई (BHAGVATI BAI) पति रामरतन चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भगवंता बाई चौधरी)	**(भगवती बाई)**
(BHAGVANTA BAI CHOUDHARY)	(BHAGVATI BAI)
	पति– रामरतन चौधरी.

(G-1358)

नाम परिवर्तन

मैं, रघुवीर सिंह तोमर आत्मज हनुमंत सिंह तोमर, निवासी– ग्राम पिपल्यानानकार, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमन सिंह तोमर (ANSHUMAN SINGH TOMAR) आत्मज रघुवीर सिंह तोमर (RAGHUVEER SINGH TOMAR) है, उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम हर्षराज आत्मज रघुवीरसिंह अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नया नाम अंशुमन सिंह तोमर (ANSHUMAN SINGH TOMAR) आत्मज रघुवीर सिंह तोमर के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रघुवीर सिंह तोमर).

(G-1359)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम दीपू खरे (DEEPU KHARE) पिता फत्तू खरे है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दीपक खरे (DEEPAK KHARE) पिता फत्तू खरे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम दीपू खरे (DEEPU KHARE) पिता फत्तू खरे दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से पढ़ा–लिखा, जाना–पहचाना व समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दीपक खरे)	**(दीपू खरे)**
(DEEPAK KHARE)	(DEEPU KHARE)
	पिता– फत्तू खरे
	निवासी– म.नं. 249, वार्ड नं. 05, महुपुरा,
	शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1360)

नाम परिवर्तन

मैं, रीना शर्मा पति अमित शर्मा, निवासी–ग्राम संदलपुर, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम यशस्व शर्मा (YASHASV SHARMA) आत्मज अमित शर्मा है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम यश वर्धन शर्मा आत्मज अमित शर्मा अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त उसका नया नाम यशस्व शर्मा (YASHASV SHARMA) आत्मज अमित शर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(रीना शर्मा)

पति– अमित शर्मा.

(G-1361)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कमलाबाई (KAMLABAI) पति जगदीश, निवासी– म.नं. 155, मावदिया सेरी, वार्ड नं. 05, ग्राम बेरछा तह व जिला शाजापुर (म.प्र.). जो कि मेरे भू–अधिकार ऋण पुस्तिका में दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कला बाई वर्मा (KALA BAI VERMA) पति जगदीश वर्मा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम कमलाबाई (KAMLABAI) पति जगदीश के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कला बाई वर्मा)	**(कमलाबाई)**
(KALA BAI VERMA)	(KAMLABAI)
	पति– जगदीश .

(G-1362)

नाम परिवर्तन

मैं, विवेक आत्मज शम्भू सिंह, निवासी – ग्राम पिपल्यानानकार, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम विवेक (VIVEK) आत्मज शम्भू सिंह है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मंगल विवेक आत्मज शम्भू सिंह अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे विवेक (VIVEK) आत्मज शम्भू सिंह के नाम जाना–पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंगल विवेक)	**(विवेक)**
(MANGAL VIVEK)	(VIVEK).

(G-1363)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दीपेन्द्र धाकड़ आत्मज श्री ओमप्रकाश धाकड़, निवासी– ग्राम, पोस्ट गोपालपुर, जिला शिवपुरी (म.प्र.). मेरा सही नाम दीपेन्द्र धाकड़ (DEEPENDRA DHAKAR) पुत्र श्री ओमप्रकाश धाकड़ है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दीपेन्द्र धाकड़ (DEEPENDRA DHAKAD) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम दीपेन्द्र धाकड़ (DEEPENDRA DHAKAR) पुत्र श्री ओमप्रकाश धाकड़ (OMPRAKASH DHAKAR) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दीपेन्द्र धाकड़)	**(दीपेन्द्र धाकड़)**
(DEEPENDRA DHAKAD)	(DEEPENDRA DHAKAR)
	पुत्र– श्री ओमप्रकाश धाकड़
	(OMPRAKASH DHAKAR).

(G-1364)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कुमार पाटीदार (RAJESH KUMAR PATIDAR), निवासी– वार्ड नं.3, राधाकृष्ण मंदिर के सामने, पाटीदार मोहल्ला, बागलिया, पोस्ट बागलिया, जिला धार (म.प्र.). मुझे मेरे घरेलू नाम राजेश पाटीदार के नाम से जाना जाता था, जो कि मेरी पुत्री सिया पाटीदार की अंकसूची में दर्ज है तथा मेरी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, पैनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय–पत्र में मेरा नाम राजेश कुमार पाटीदार (RAJESH KUMAR PATIDAR) नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे राजेश कुमार पाटीदार (RAJESH KUMAR PATIDAR) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजेश पाटीदार)	**(राजेश कुमार पाटीदार).**

(G-1365)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम जयवर्धन गोठी (JAYVARDHAN GOTHI) पिता नरेन्द्र गोठी, निवासी– म.नं. 01, सेमली रोड, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. 07, घुन्सी, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम जय गोठी (JAY GOTHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम जयवर्धन गोठी (JAYVARDHAN GOTHI) पिता नरेन्द्र गोठी जाना–पहचाना जावे एवं इसी नाम से लिखा–पढा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नरेन्द्र गोठी).

(G-1366)

नाम परिवर्तन

मैं, राखी पांडला पत्नी श्री दिनेश पांडला, निवासी– बी 98, बी सेक्टर, अशोका गार्डन, गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.). मेरे पूर्व पति शिव शंकर नामदेव से विवाह विच्छेद के बाद मैंने दिनेश पांडला से पुनर्विवाह कर लिया है. मेरी पुत्री के पुराने दस्तावेजों में उसका नाम राशी तथा कुछ दस्तावेजों में राशी नामदेव पुत्री शिव शंकर नामदेव दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके नये नाम राशी पांडला पुत्री दिनेश पांडला, माता राखी पांडला के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(राखी पांडला)

पति– श्री दिनेश पांडला.

(G-1367)

नाम परिवर्तन

मैं, आदेश पाल पत्नी श्री जगदीश पाल, निवासी– हुरावली गांव, बघेल मोहल्ला, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश कशिश दर्ज है, जबकि जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूचियों में नाम आराधना दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में कशिश से परिवर्तित कर आराधना नाम से दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(आदेश पाल)

पत्नी– श्री जगदीश पाल.

(G-1368)

नाम परिवर्तन

मैं, फरीदा बी (Fareeda Bee), निवासी–29, रिसालदार कॉलोनी, हुजुर, भोपाल (म.प्र.). मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम फरहत खानम (Farhat Khanam) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम फरीदा बी (Fareeda Bee) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम फरीदा बी (Fareeda Bee) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फरहत खानम)	**(फरीदा बी)**
(Farhat Khanam)	(Fareeda Bee).

(G-1369)

नाम परिवर्तन

मैं, अजयपाल सिंह तोमर पुत्र भूपेन्द्र तोमर (AJAYPAL SINGH TOMAR S/o. BHUPENDRA TOMAR), निवासी– वार्ड नंबर 11, कुरावर, थाना कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अजय तोमर पुत्र भूपेन्द्र तोमर (AJAY TOMAR S/o. BHUPENDRA TOMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अजयपाल सिंह तोमर पुत्र भूपेन्द्र तोमर (AJAYPAL SINGH TOMAR S/o. BHUPENDRA TOMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अजय तोमर)	**(अजयपाल सिंह तोमर)**
(AJAY TOMAR)	(AJAYPAL SINGH TOMAR)
	पुत्र– भूपेन्द्र तोमर
	(S/o. BHUPENDRA TOMAR).

(G-1370)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम माधवी बाथम पुत्री मुरारी लाल बाथम (MADHAVI BATHAM D/o. MURARI LAL BATHAM), निवासी– जवाहर नवोदय विद्यालय, पनघटा, मगरोनी, शिवपुरी (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम माधुरी बाथम पुत्री मुरारी बाथम (MADHURI BATHAM D/o. MURARI BATHAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को माधवी बाथम पुत्री मुरारी लाल बाथम (MADHAVI BATHAM D/o. MURARI LAL BATHAM) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुरारी लाल बाथम).

(G-1371)

नाम परिवर्तन

मैं, धरम सिंह पुत्र मातादीन, निवासी– ग्राम भाऊखेड़ी, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धर्मेन्द्र दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम धरम सिंह पुत्र मातादीन है, जो कि मेरे शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम धरम सिंह पुत्र मातादीन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(धर्मेन्द्र) — **(धरम सिंह)**

(G-1372) — पुत्र– मातादीन.

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश अग्रवाल पिता प्रेमनारायण अग्रवाल, निवासी– ग्राम बिलहरा, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम नमामि अग्रवाल पिता राजेश कुमार अग्रवाल (NAMAMI AGRAWAL D/o. RAJESH KUMAR AGRAWAL) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नम्रता अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल (NAMRTA AGRWAL D/o. RAJESH AGRWAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र व कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम नमामि अग्रवाल पिता राजेश कुमार अग्रवाल दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को नमामि अग्रवाल पिता राजेश कुमार अग्रवाल (NAMAMI AGRAWAL D/o. RAJESH KUMAR AGRAWAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1373) — **(राजेश कुमार अग्रवाल).**

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल, निवासी– 39 चुमली, तहसील नरसिंहगढ़, जिला नरसिंहगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम बर्षा पिता लक्ष्मीनारायण (VARSHA D/o. LAXMINARAYAN) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश गुनगुन पिता लक्ष्मीनारायण (GUNGUN D/o. LAXMINARAYAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र व कक्षा 9वीं की अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम बर्षा पिता लक्ष्मीनारायण दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को बर्षा पिता लक्ष्मीनारायण (VARSHA D/o. LAXMINARAYAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1374) — **(लक्ष्मीनारायण).**

नाम परिवर्तन

मैं, भागबाई पति अशोक तिवारी, निवासी– 381 मानसरोवर नगर, जाटखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम तारजन घृतलहरे है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अशोक हीतलेहरे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व कक्षा 3 की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को तारजन घृतलहरे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(भागबाई)

(G-1375) — पति– अशोक तिवारी.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम संजू यादव पिता चंदर सिंह यादव, निवासी– ग्राम नसीरपुर, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश मंजू पिता चंदन सिंह (MANJU D/o. CHANDAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम संजू यादव पिता चंदर सिंह यादव दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे संजू यादव पिता चंदर सिंह यादव (SANJU YADAV D/o. CHANDAR SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंजू)	**(संजू यादव)**
(MANJU)	(SANJU YADAV)
पिता– चंदन सिंह	पिता– चंदर सिंह यादव
(D/o. CHANDAN SINGH)	(D/o. CHANDAR SINGH YADAV).

(G-1376)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्पित रघुवंशी पिता नरेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी– ई 86, सी सेक्टर, फेस 2, ओल्ड मिनाल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम "रितान्या रघुवंशी" दर्ज है, जो अब बदलकर "त्रिशिका रघुवंशी" किया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अर्पित रघुवंशी)

पिता– नरेन्द्र सिंह रघुवंशी.

(G-1377)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पलता पुरोहित पति श्री प्रकाश पुरोहित, निवासी–1103, धूनी महाराज के मंदिर के पास, प्रताप नगर, वार्ड नं. 14, टिकरी, बैतूल (म.प्र.). मेरे दोनों बच्चों की मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश प्रतिभा पुरोहित (PRATIBHA PUROHIT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैं, अपना सही नाम पुष्पलता पुरोहित दोनों बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पुष्पलता पुरोहित (PUSHPLATA PUROHIT) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदिका

(पुष्पलता पुरोहित)

(PUSHPLATA PUROHIT)

पति– श्री प्रकाश पुरोहित.

(G-1378)

नाम परिवर्तन

मैं, AMAR LAL WADHWANI S/o. BEGRAJ WADHWANI, निवासी–म. नं. 18 एवं 19, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.). मेरे सरकारी एवं गैर–सरकरी दस्तावेजों में मेरा नाम AMAR WADHWANI लिखा है AMAR LAL WADHWANI एवं AMAR WADHWANI मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, अपना नाम AMAR WADHWANI के नाम के स्थान पर AMAR LAL WADHWANI के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(AMAR WADHWANI)	**(AMAR LAL WADHWANI).**

(G-1379)

नाम परिवर्तन

मैं, विख्यात सबलोक (VIKHYAT SABHLOK) आत्मज श्री सुनील कुमार सबलोक (SUNIL KUMAR SABHLOK), निवासी–प्लाट नंबर 119, टैगोर नगर सोसायटी ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.). मेरा नाम एस.बी.आई. के पासबुक में विनोद सबलोक लिखा है. मेरे सरकारी / गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम विनोद सुबलोक के स्थान पर विख्यात सबलोक अंकित करना है. विनोद सबलोक VINOD SABHLOK विनोद डबलोक VINOD DABHLOK मेरे ही नाम हैं. मैं, विख्यात सबलोक के नाम से ही मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे विख्यात सबलोक (VIKHYAT SABHLOK) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विनोद सबलोक)	**(विख्यात सबलोक).**

(G-1380)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बबीता वर्मा पुत्री श्री चन्दन सिंह, निवासी–वार्ड पोस्ट गुणोरा, पालनपुर, गुनौरा, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संदीप वर्मा (Sandip Varma) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरा सही नाम बबीता वर्मा (Babita Verma) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा सही नाम बबीता वर्मा (Babita Verma) के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संदीप वर्मा)	**(बबीता वर्मा)**
(Sandip Varma)	(Babita Verma).

(G-1381)

उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम प्रीति राठौर पिता श्री संतोष राठौर समस्त दस्तावेजों / अभिलेखों में दर्ज है. विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमति प्रीति साहू पत्नी श्री सौरभ साहू हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त दस्तावेजों / अभिलेखों में दर्ज किया जावे एवं परिवर्तित नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीति राठौर)	**(प्रीति साहू)**
पिता– श्री संतोष राठौर	पति– श्री सौरभ साहू
	निवासी– एमपीईबी केम्पस, खंडवा रोड़,
	तहसील खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1382)

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रजेन्द्र भारती गोस्वामी पिता गोरी शंकर गोस्वामी, निवासी– एफ 106, राजवैद्य कालोनी, एफ सेक्टर, बीएसएनएल टॉवर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश गायु भारती गोस्वामी (Gaayu Bharti Goswami) आत्मज ब्रजेन्द्र भारती गोस्वामी (Brajendra Bharti Goswami) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम मान्या गोस्वामी (MANYA GOSWAMI) पिता ब्रजेन्द्र भारती गोस्वामी (BRIJENDRA BHARTI GOSWAMI) है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मान्या गोस्वामी (MANYA GOSWAMI) पिता ब्रजेन्द्र भारती गोस्वामी (BRIJENDRA BHARTI GOSWAMI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ब्रजेन्द्र भारती गोस्वामी)

(BRIJENDRA BHARTI GOSWAMI).

(G-1383)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम अभिषेक दांगी पिता श्री गोपाल दांगी, निवासी–05, ग्राम तूमडियाखेडी, पोस्ट चौंसला, दुमडिया खेडी, खुजनेर, राजगढ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अभिषेक पिता गोपाल (ABHISHEK S/o. GOPAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अभिषेक दांगी पिता श्री गोपाल दांगी (ABHISHEK DANGI S/o. GOPAL DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अभिषेक)	**(अभिषेक दांगी)**
(ABHISHEK)	(ABHISHEK DANGI)
पिता– गोपाल	पिता– श्री गोपाल दांगी
(S/o. GOPAL)	(S/o. GOPAL DANGI).

(G-1384)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा बाई (ASHA BAI) पत्नी श्री जगदीश पटेल, निवासी– वार्ड नं–06, पोस्ट व तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा सही नाम आशा बाई (ASHA BAI) पत्नी श्री जगदीश है, जो कि मेरे परिचय–पत्र (वोटर कार्ड) में अंकित है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम असरफी पत्नी श्री जगदीश पटेल अंकित हो गया है. मेरा सही नाम आशा बाई (ASHA BAI) पत्नी श्री जगदीश पटेल है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे आशा बाई (ASHA BAI) पत्नी श्री जगदीश पटेल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(असरफी)	**(आशा बाई)**
	(ASHA BAI)
	पत्नी– श्री जगदीश पटेल.

(G-1385)

नाम परिवर्तन

मैं, चिंटुलाल आत्मज श्री देवचंद, निवासी– मं.नं. 32, वार्ड नं. 03, गाँव काकरिया, पोस्ट चकलदी, तहसील रेहटी, कंकरिया, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि अनुज (ANUJ) मेरा पुत्र है जिसका सही नाम अनुज (ANUJ) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम अनुष (ANUSH) पुत्र श्री चिंदुलाल अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम अनुज (ANUJ) पुत्र श्री चिंटुलाल है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(चिंटुलाल).

(G-1386)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रेक्षा जैन (PREKSHA JAIN) पुत्री श्री अजय जैन (AJAY JAIN) है, जो कि मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड, वोटर कार्ड, परिचय–पत्र में अंकित है एवं मैं, वर्तमान में इसी नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, परन्तु मेरा पूर्व नाम प्रेक्षा जैन बोहरा (PREKSHA JAIN BOHARA) पुत्री श्री अजय जैन (AJAY JAIN) भी है जो कि मेरी सी.बी.एस.ई. बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूचियों में अंकित है. मेरा वर्तमान नाम प्रेक्षा जैन (PREKSHA JAIN) पुत्री श्री अजय जैन है, मुझे प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रेक्षा जैन बोहरा)	**(प्रेक्षा जैन)**
(PREKSHA JAIN BOHARA)	(PREKSHA JAIN)
	पुत्री– अजय जैन.

(G-1387)

नाम परिवर्तन

मैं, इरशाद शाह पुत्री जाकीर शाह, निवासी– ग्राम कनार्दी, तहसील कनारडी, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश काजू (Kaju C/o. Anis Hussain) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम इरशाद शाह (IRSHAD SHAH) पत्नी अनीस हुसैन (ANIS HUSSAIN) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. जिसे मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इरशाद शाह (IRSHAD SHAH) पत्नी अनीस हुसैन (ANIS HUSSAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(काजू)	**(इरशाद शाह)**
(Kaju)	(IRSHAD SHAH)
	पत्नी– अनीस हुसैन
	(ANIS HUSSAIN).

(G-1388)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मोहनीश मूरजानी है. मेरी पुत्री का वर्तमान नाम रीधि मूरजानी (RIDHI MOORJANI), निवासी–1594, चंद्रकांत बिल्डिंग, सरस्वती कॉलोनी, पारिजात इमारत के पास, चेरीताल, वार्ड जबलपुर (म.प्र.). अभिवचनकर्त्ता उपरोक्त वर्णित पते के स्थायी निवासी हैं. मेरी पुत्री का नाम वर्तमान में रीधि मूरजानी (RIDIHI MOORJANI) है और उसका नाम परिवर्तित कर रिधिमा मूरजानी (RIDDHIMA MOORJANI) किया गया है. अभिवचनकर्त्ता की पुत्री का परिवर्तित नया नाम रिधिमा मूरजानी (RIDDHIMA MOORJANI) भविष्य में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों, शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रिधि मूरजानी)	**(रिधिमा मूरजानी)**
(RIDHI MOORJANI)	(RIDDHIMA MOORJANI).

(G-1389)

आम सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है, कि मेसर्स पर्व रियलिटी पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0017–2019 दिनांक 09–04–2019 सन् 2019,2020 का पूर्व में कार्यालय– 26 सी, सुविधा नगर, एमआर–5, छोटा बाँगडदा, इंदौर (म.प्र.) पर था जो अब स्थान अंतरित होकर 210, नवनीत प्लाजा, 5/2 ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.) हो गया है. अतः अब नवीन पते पर ही सम्पर्क करे.

मेसर्स पर्व रियलिटी

संदीप चोरडिया

साजन पनिकर

(भागीदार).

(G-1390)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम शिशुपाल सिंह बंजारा पुत्र महेंद्र बंजारा (Shishupal Singh Banjara S/o. Mahendra Banjara), निवासी– गांव ताहरपुर, पोस्ट देहरीकलां, तहसील आरोन, जिला गुना, तहारपुर, देहरी कलां, गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विराट नायक पुत्र महेंद्रसिंह नायक (Virat Nayak S/o. Mahendrasingh Nayak) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम शिशुपाल सिंह बंजारा पुत्र महेंद्र बंजारा (Shishupal Singh Banjara S/o. Mahendra Banjara) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेंद्र बंजारा).

(G-1391)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम तनवी पुत्री जितेंद्र कुमार वर्मा (Tanvi D/o. Jitendra Kumar Verma), निवासी–हाउस नं, बडोदिया गाडरी, आष्टा, बडोदिया गदरी, आष्टा, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नवनी पुत्री जितेन्द्र (Navni D/o. Jitendra) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम तनवी पुत्री जितेंद्र कुमार वर्मा (Tanvi D/o. Jitendra Kumar Verma) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1392) **(जितेंद्र कुमार वर्मा).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम ईशू मोहम्मद (ISHU MOHAMMED) है. मेरे बैंक खाता एवं आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम युसूफ खान (Yusuf Khan) दर्ज हो गया है. मेरे पेंशन अदायगी आदेश (PPO) तथा हायर सेकेण्डरी अंकसूची में ईशू मोहम्मद (ISHU MOHAMMED) दर्ज है और मैं, इसी नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझें ईशू मोहम्मद (ISHU MOHAMMED) नाम से जाना–पहचाना जावे और आधार कार्ड व समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज होकर मान्य किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(युसूफ खान)	**(ईशू मोहम्मद)**
(Yusuf Khan)	(ISHU MOHAMMED)

पिता– अलादीन

पता– म. नं. 190, वार्ड नं. 35, पचमठा घोघर,

(G-1393) जिला रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति साहू पत्नी श्री नीलेश साहू, निवासी– वार्ड नं. 07 बरेली, तह. बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी अंकसूची में मेरा नाम प्रीति (Priti) अंकित है. मेरे जाति प्रमाण–पत्र में मेरा नाम प्रीति साहू (Priti Sahu) अंकित है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम प्रीति साहू (Priti Sahu) अंकित है. मेरी पुत्री चंचल साहू की लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण–पत्र में मेरा नाम प्रीती (Priti) अंकित है. मेरे आधार कार्ड में एवं वोटर कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गीता साहू (Geeta Sahu) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. उक्त शपथपत्र में मेरे आधार कार्ड व वोटर कार्ड में मेरा नाम गीता साहू (Geeta Sahu) के स्थान पर प्रीति साहू (Priti Sahu) अंकित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझको सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में प्रीति साहू (Priti Sahu) के नाम से ही जानी–पहचानी एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(प्रीति साहू)

पत्नी– श्री नीलेश साहू.

(G-1394)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव पिता श्री इंदर सिंह ठाकुर, निवासी– लखहार, लखहार, आगासौद, सागर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गोपाल दांगी पिता श्री इंदर सिंह दांगी (GOPAL DANGI S/o. INDER SINGH DANGI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम गौरव पिता श्री इंदर सिंह ठाकुर (GOARAV S/o. INDER SINGH THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोपाल दांगी)	**(गौरव)**
(GOPAL DANGI)	(GOARAV)
पिता– श्री इंदर सिंह दांगी	पिता– इंदर सिंह ठाकुर
(S/o. INDER SINGH DANGI)	(S/o. INDER SINGH THAKUR).

(G-1395)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अरूण कुमार साध पुत्र कैलाश साध, निवासी– ग्राम पोस्ट मलोथर, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के शैक्षणिक रिकार्ड में त्रुटिवश तेजस्व कुमार (TEJASVA KUMAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में तेजस्व साध (TEJASVA SADH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम तेजस्व साध (TEJASVA SADH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अरूण कुमार साध)

पुत्र– कैलाश साध.

(G-1396)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अमृत सरोठिया पत्नी श्री भूपेन्द्रसिंह सरोठिया, निवासी– रॉयल कॉलोनी, पार्ट–2, ग्राम काजीखेड़ी, तह. आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम अमृत है. आधार कार्ड में त्रुटिवश ईमरत बाई दर्ज हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझको ईमरत बाई के स्थान पर अमृत सरोठिया (AMRIT SAROTHIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ईमरत बाई)	**(अमृत सरोठिया)**
	पत्नी– श्री भूपेन्द्रसिंह सरोठिया.

(G-1397)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुनीता (SUNEETA) है. यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है जबकि मेरे द्वारा अपना आधार कार्ड अपडेट कराते समय त्रुटिवश मेरा नाम रघुवीर आदिवासी (RAGHUVEER AADIWASI) दर्ज हो गया है. सुनीता (SUNEETA) और रघुवीर आदिवासी (RAGHUVEER AADIWASI) दोनों एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रघुवीर आदिवासी (RAGHUVEER AADIWASI) के स्थान पर सही नाम सुनीता (SUNEETA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रघुवीर आदिवासी)	**(सुनीता)**
(RAGHUVEER AADIWASI)	(SUNEETA)
	निवासी– वार्ड नं. 2, भितरवार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1398)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सरजु बाई अम्बावतिया है तथा मेरे पति सिध्दनाथ अंबावतिया की सर्विस बुक में त्रुटिवश मेरा नाम सरस्वती देवी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम सरजु बाई अम्बावतिया के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(सरजु बाई अम्बावतिया)

पति– सिद्धनाथ अंबावतिया

निवासी– ग्राम निपानिया, करजु,

तह. मोहन बडोदिया, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1399)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम रवि कुमार बनोधा पुत्र श्री मनोहर लाल बनोधा (Ravi Kumar Banodha S/o. Shri Manoharlal Banodha), निवासी– 70, बडी ग्वाल टोली, इंदौर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रवि कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल (Ravi Kumar S/o. Shri Manoharlal), अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, वोटर आई.डी दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम को शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रवि कुमार बनोधा पुत्र श्री मनोहर लाल बनोधा (Ravi Kumar Banodha S/o. Shri Manoharlal Banodha), के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रवि कुमार)	**(रवि कुमार बनोधा)**
(Ravi Kumar)	(Ravi Kumar Banodha)
पुत्र– श्री मनोहरलाल	पुत्र– श्री मनोहर लाल बनोधा
(S/o. Shri Manoharlal)	(S/o. Shri Manoharlal Banodha).

(G-1400)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अनिरूद्ध सिंह भदोरिया पुत्र लोकेंद्र सिंह भदोरिया (Anirudh Singh Bhadoriya S/o. Lokendra Singh Bhadoriya), निवासी–ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, ईसागढ़, अशोक नगर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनुरूध सिंह भदौरिया पुत्र लोकेन्द्र सिंह भदौरिया (Anurudh Singh Bhadouriya S/o. Lokendra Singh Bhadouriya), अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अनिरूद्ध सिंह भदोरिया पुत्र लोकेंद्र सिंह भदोरिया (Anirudh Singh Bhadoriya S/o. Lokendra Singh Bhadoriya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनुरूद्ध सिंह भदौरिया)	**(अनिरूद्ध सिंह भदोरिया)**
(Anurudh Singh Bhadouriya)	(Anirudh Singh Bhadoriya)
पुत्र– लोकेन्द्र सिंह भदौरिया	पुत्र– लोकेंद्र सिंह भदोरिया
(S/o. Lokendra Singh Bhadouriya)	(S/o. Lokendra Singh Bhadoriya).

(G-1401)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शकुन बाई पुत्री स्व. झब्बूलाल बाथम, पत्नी मोहन लाल बाथम (Shakun Bai D/o. Late Jhabbu Lal Batham W/o. Mohan Lal Batham), निवासी– म.नं. 24, गली नं. 02, भोईपुरा, बुधवारा, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश नाम लीला बाई व लीलावती पुत्री स्व. झब्बूलाल बाथम, पत्नी मोहन लाल बाथम Leela Bai, Leelavati D/o. Late Jhabbu Lal Batham, W/o. Mohan Lal Batham अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे भोपाल गैस त्रासदी के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा उक्त तीनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शकुन बाई पुत्री स्व. झब्बूलाल बाथम, पत्नी मोहन लाल बाथम (Shakun Bai, D/o. Late Jhabbu Lal Batham, W/o. Mohan Lal Batham) के नाम से सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लीला बाई व लीलावती बाथम)

(Leela Bai, Leelavati Batham)

नया नाम

(शकुन बाई)

पुत्री– स्व. झब्बूलाल बाथम

पत्नी– मोहन लाल बाथम

(Shakun Bai, D/o. Late Jhabbu Lal Batham
W/o. Mohan Lal Batham).

(G-1402)

नाम परिवर्तन

मेरे दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम चांदनी बाई महाजन दर्ज हो गया था, लेकिन मेरा सही नाम छगा बाई महाजन पति हिरा महाजन है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे छगा बाई पति हिरा महाजन के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चांदनी बाई महाजन)

नया नाम

(छगा बाई महाजन)

पति– हिरा महाजन

निवासी– ग्राम सिरलाय, तह. बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1403)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शाहिल (Shahil) पुत्र पुरुषोत्तम (Purushottam) है. और उसका यही नाम उसकी (C.B.S.E.) 10वीं बोर्ड की अंकसूची व उसके जन्म प्रमाण–पत्र में लिखा हुआ है. मेरे पुत्र शाहिल (Shahil) के आधार कार्ड में त्रृटिवश उसका नाम शायल (Shayal) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे के पुत्र का सही नाम शाहिल (Shahil) पुत्र पुरुषोत्तम (Purushottam) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शायल)

(Shayal)

नया नाम

(शाहिल)

(Shahil)

निवासी– पुरूषोत्तम गौतम नगर,
मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1404)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम प्रदीप चौधरी (Pradeep Chaudhary) है. पिता का सही नाम हरीश चन्द्र (Harish Chandra) है व मेरी माता का सही नाम ममता (Mamta) है और उनके यही नाम उसके आधार कार्ड में भी दर्ज है. मेरे के आधार कार्ड, पैन कार्ड व मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम प्रदीप चौधरी (Pradeep Chaudhary) है. मेरी 10वीं म.प्र. बोर्ड वर्ष 2020 की अंकसूची व मेरी 12वीं म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की वर्ष 2023 की अंकसूची पर त्रुटिवश में मेरा नाम प्रदीप जाटव (Pradeep Jatav) मेरे पिता का नाम हरीश चन्द्र जाटव (Harish Chandr Jatav) व मेरी माता का नाम ममता जाटव (Mamta Jatav) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रदीप चौधरी (Pradeep Chaudhary) पिता हरीश चन्द्र (Harish Chandra) व माता ममता (Mamta) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रदीप जाटव)	**(प्रदीप चौधरी)**
(Pradeep Jatav)	(Pradeep Chaudhary)
पिता– हरीश चन्द्र जाटव	पिता– हरीश चन्द्र
(S/o. Harish Chandr Jatav)	(Harish Chandra)
माता– ममता जाटव	माता– ममता
(Mamta Jatav)	(Mamta)

पता– गौतम नगर, चंदेल डेयरी के पास, ग्वालियर, वार्ड 23, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1405)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम माधुरी शर्मा (Madhuri Sharma) पुत्री राम खिलाड़ी (Ram Khiladi) पत्नी चंद्रेश शर्मा (Chandresh Sharma) है. मेरी 10वीं व 12वीं म.प्र. बोर्ड की अंकसूची पर मेरा नाम माधुरी (Madhuri) पुत्री राम खिलाड़ी (Ram Khiladi) लिखा हुआ है. मेरा विवाह चंद्रेश शर्मा (Chandresh Sharma) से होने के उपरान्त मेरा नाम श्रीमती माधुरी शर्मा (Madhuri Sharma) पत्नी चंद्रेश शर्मा (Chandresh Sharma) हो गया है. जो कि मेरा सही नाम है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मधु (Madhu) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में का सही नाम माधुरी शर्मा (Madhuri Sharma) पत्नी चंद्रेश शर्मा (Chandresh Sharma) के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मधु)	**(माधुरी शर्मा)**
पुत्री– राम खिलाड़ी	(Madhuri Sharma)
	पत्नी– चंद्रेश शर्मा
	(Chandresh Sharma)

पता– ग्राम देयली, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1406)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गोविन्द सिंह (Govind Singh) पुत्र बटीराम कुशवाह (Batiram Kushwah) है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, वोटर कार्ड व मेरी कृषि भूमि की खतौनी तथा मेरी यूको बैंक की पास बुक में लिखा है. मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम गंधर्भ सिंह कुशवाह (Gandharw Singh Kushwah) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम गोविन्द सिंह (Govind Singh) पुत्र बटीराम कुशवाह (Batiram Kushwah) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गंधर्भ सिंह कुशवाह)	**(गोविन्द सिंह)**
	(Govind Singh)
	पुत्र– बटीराम कुशवाह
	(Batiram Kushwah)
	पता– ग्राम व पोस्ट ग्यारा,
(G-1407)	तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, आरती प्रजापति पुत्री गंगा सागर प्रजापति (Arti Prajapati D/o. Ganga Sagar Prajapati), निवासी–सी–53, सुभाष कॉलोनी, सेमराकलां, ओम किराना, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरती प्रजापति पुत्री गंगा सागर (Aarti Prajapati D/o. Ganga Sagar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई. डी. के दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम आरती प्रजापति पुत्री गंगा सागर प्रजापति (Arti Prajapati D/o. Ganga Sagar Prajapati) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरती प्रजापति)	**(आरती प्रजापति)**
(Aarti Prajapati)	(Arti Prajapati)
पुत्री– गंगा सागर	पुत्री– गंगा सागर प्रजापति
(D/o. Ganga Sagar)	(D/o. Ganga Sagar Prajapati).

(G-1408)

नाम परिवर्तन

मैं, भूपत सिंह आत्मज श्री हरकिशन अहिरवार (BHUPAT SINGH S/o. SHRI HARKISHAN AHIRWAR), निवासी– सीरवाड़ा मुरलीधर, तह. बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भबूत सिंह आ. श्री हरकिशन अहिरवार अंकित हो गया है. मेरा सही नाम भूपत सिंह आत्मज श्री हरकिशन अहिरवार (BHUPAT SINGH S/o. SHRI HARKISHAN AHIRWAR) मेरी अंकसूचीयों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भूपत सिंह आत्मज श्री हरकिशन अहिरवार (BHUPAT SINGH S/o. SHRI HARKISHAN AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भबूत सिंह)	**(भूपत सिंह)**
(BHABUT SINGH)	(BHUPAT SINGH)
	आत्मज– श्री हरकिशन अहिरवार
(G-1409)	(S/o. SHRI HARKISHAN AHIRWAR).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती निर्मला मालवीया पिता श्री देवीलाल पटेल पति राजेश चंद्र मालवीया (NIRMALA MALVIYA D/o. DEVILAL PATEL, W/o. RAJESH CHANDRA MALVIYA) था, जिसे मैं, परिवर्तित कर श्रीमती निर्मला पटेल पति राजेश पटेल (NIRMALA PATEL W/o. RAJESH PATEL) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती निर्मला पटेल पति राजेश पटेल नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निर्मला मालवीया)	**(निर्मला पटेल)**
पिता– श्री देवीलाल पटेल	पति– राजेश पटेल.
पति– राजेश चंद्र मालवीया	

(G-1410)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्ण कांत सिंह पुत्र श्रीनिवास साकेत (Krishn Kant Singh S/o. Shrinivas Saket), निवासी– ग्राम टिकरी, थाना मड़वास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) की अंकसूची में अधूरा नाम कृष्ण कांत (Krishn Kant) अंकित है, जबकि पूरा नाम कृष्ण कांत सिंह (Krishn Kant Singh) है, जो कि मेरी 12वीं की अंकसूची में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम कृष्ण कांत सिंह पुत्र श्रीनिवास साकेत (Krishn Kant Singh S/o. Shrinivas Saket) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृष्ण कांत)	**(कृष्ण कांत सिंह)**
(Krishn Kant)	(Krishn Kant Singh)
	पुत्र– श्रीनिवास साकेत
	(S/o. Shrinivas Saket).

(G-1411)

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, रीवा संभाग रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक–154–2025.– मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी.एस. जामोद, आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी रीवा संभाग, रीवा, स्थान जबलपुर, मैहर, अमरपाटन, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, भोपाल, छतरपुर, पन्ना, सलेहा, सिंहपुर, चित्रकूट, सेमरिया, बिरसिंहपुर इत्यादि शहरों की तरफ से आने एवं जाने वाली प्रक्रम (Stage Carriage) वाहनों में यात्रियों को बैठाने एवं उतारने के लिए जनसुविधा, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की दृष्टि से आर.टी.ओ. आफिस के पास, बायपास स्थित (सोनौरा) पर नवीन बस स्टैण्ड (ISBT), जिसका ग्राम कृपालपुर, तहसील रघुराजनगर स्थित खसरा क्रमांक–1298/1 (S), रकबा 0.3030 हेक्टेयर एवं आ.नं. 1298/2(S) रकबा 2.7730 हेक्टेयर को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत उक्त "बस स्टैण्ड" को अधिसूचित घोषित करता हूँ. प्रकरण संबंधी समस्त शर्तें पृथक् से संलग्न है, जिसका पालन सुनिश्चित् हो.

बी. एस. जामोद, आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी.

(G-1412)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग, राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी 2026

(फार्म– चार)

क्र.–1345–री.राऊ–2026.– आवेदक हाजी सईद पटेल उर्फ पप्पू पिता मरहुम हाजी सरदार पटेल तर्फे, नायता पटेल, मुस्लिम समाज सेवा कमेटी, निजी न्यास सोनवाय, पता– दुकान नंबर 8, चांदनी चौक सोनवाय, तहसील राऊ, जिला इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस–1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	नायता पटेल, मुस्लिम समाज सेवा कमेटी निजी न्यास, सोनवाय.
2.	पता	–	दुकान नंबर 8, चांदनी चौक सोनवाय, तहसील राऊ, जिला इंदौर
3.	अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4.	चल सम्पत्ति	–	–

आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1413) **गोपाल सिंह वर्मा**, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 13 जनवरी 2026

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र.क्र.–124–बी–113–2025–26.– एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक श्री हरसिद्धी दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट, कार्यालय– श्री हरसिद्धी दुर्गा माता मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष विशाल पिता गोविंद सोनी, निवासी– ए–123, इंदिरा कॉलोनी शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत् प्रस्तुत कर श्री हरसिद्धी दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट, बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है. एतदद्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 13 जनवरी 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. आवेदक श्री हरसिद्धी दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट, कार्यालय– श्री हरसिद्धी दुर्गा माता मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष विशाल पिता गोविंद सोनी, निवासी– ए–123, इंदिरा कॉलोनी शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति – निरंक है.
3. अचल सम्पत्ति – निरंक है.

(G-1414) **अजमेर सिंह गौड़,** पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ लोक न्यास, पंजीयक, लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

लखनादौन, दिनांक 09 जनवरी 2026

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

ग्राम देवरीकला, प.ह.न. 09 रा.नि.म. चमारीखुर्द, तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र.–44–रीडर–2–2026 रा.प्र.क्र.–0001बी–113–2025–26.– चूंकि, आवेदकगण 1. वीरेन्द्र कुमार सोनी पिता श्री निरपतलाल सोनी, उम्र 47 वर्ष, 2. राजेश कुमार सोनी पिता श्री ठाकुर प्रसाद सोनी, जाति सुनार, दोनों निवासी ग्राम

देवरीकला, गनेशगंज, तहसील छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.) के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत कथित लोक न्यास ''श्री शंकर मंदिर ट्रस्ट'' ग्राम देवरीकला, तहसील छपारा के पंजीयन हेतु आवेदन, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10 फरवरी 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन, जिला सिवनी, लोकन्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 09 जनवरी 2026 को, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा– अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम	–	''श्री शंकर मंदिर ट्रस्ट''
2. लोक न्यास का पता	–	ग्राम देवरीकला, तहसील छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.).
3. न्यास की चल संपत्ति	–	2,37,677/– रुपये (दो लाख सैंतीस हजार छः सौ सत्तर रुपये) (आदिम जाति/वृह./सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गनेशगंज जिला– सिवनी, पंजीयन कमांक 844 के सेविंग बैंक खाता में जमा)
4. न्यास की अचल संपत्ति	–	ग्राम जोगीवाडा, प.ह.न. 08, राजस्व निरीक्षक मण्डल, चमारीखुर्द व तहसील छपारा, जिला–सिवनी (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 250, रकबा 1.55 हे. ग्राम सिंधोडी, प.ह.न. 09, राजस्व निरीक्षक मण्डल, चमारीखुर्द व तहसील छपारा, जिला–सिवनी (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 108, रकबा 1.14 हे. .

आज दिनांक 09 जनवरी 2026 को सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा के आधीन जारी.

(G-1415) **रवि कुमार सिहाग,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 5 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परि.—2026—23.—जन जाग्रति साख सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, तहसील मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 31 मार्च 1997 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 971, मन्दसौर, दिनांक 16 जून 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार—पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5—1—99—पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का निगम—निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1416)

मन्दसौर, दिनांक 5 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परि.—2026—24.— कृष्णा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, चिल्लौद पिपल्या, तहसील मल्हारगढ, जिसका पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 22 जून 2011 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 971, मन्दसौर, दिनांक 16 जून 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार—पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1417)

मन्दसौर, दिनांक 05 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–21.– दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मनासा खुर्द, तहसील मल्हारगढ, जिसका पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 21 अगस्त 1989 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1040, मन्दसौर, दिनांक 10 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1418)

मन्दसौर, दिनांक 05 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–20.– तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडवन, तहसील दलौदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 657, दिनांक 03 दिसम्बर 1992 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1061, मन्दसौर, दिनांक 11 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1419)

मन्दसौर, दिनांक 05 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–19.– माधव महेन्द्र प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित नगरी, तहसील दलौदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 630, दिनांक 30 सितम्बर 2020 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1059, मन्दसौर, दिनांक 11 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1420)

मन्दसौर, दिनांक 05 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–18.– दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कचनारा फलेग, तहसील दलौदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 356, दिनांक 21 मई 1995 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से सबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1041, मन्दसौर, दिनांक 10 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1421)

मन्दसौर, दिनांक 05 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–22.– दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तितरोद, तहसील सीतामउ, जिसका पंजीयन क्रमांक 600, दिनांक 04 जनवरी 1999 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1042, मन्दसौर, दिनांक 10 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1422) **परमानंद गोडरिया,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 14 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–19.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– परिसमापक–1373–रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के द्वारा ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बाड़ी, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 23 अगस्त 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री सी.एस. जूनागढे, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी,

दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बाड़ी, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 23 अगस्त 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.
(G-1423)

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–24.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– परिसमापन–1748–रायसेन, दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के द्वारा माँ कालिका बारदाना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 945, दिनांक 17 अगस्त 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अमोल रवि कुजूर, उप अंकेक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री सी.एस. जूनागढ़े अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ कालिका बारदाना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरा, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 945, दिनांक 17 अगस्त 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.
(G-1424)

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–25.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– परिसमापन–861–रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2014 के द्वारा माँ भगवती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लामटा, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 12 मार्च 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, उप अंकेक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री सी.एस. जूनागढ़े, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ भगवती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लामटा, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 12 मार्च 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1425)

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–26.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– परिसमापन–330–रायसेन, दिनांक 24 अप्रैल 2012 के द्वारा चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 18 मार्च 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अमोल रवि कुजूर, उप अंकेक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 18 मार्च 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1426)

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–27.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1325–रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के द्वारा सहकारी बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुलतानपुर, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 14 मई 1952 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री रोहित यादव, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुलतानपुर, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 14 मई 1952 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1427)

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–28.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापक–1207–रायसेन, दिनांक 29 अगस्त 2001 के द्वारा जामगढ़ बुनकर सहकारी संस्था मर्या., जामगढ़, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 316, दिनांक 05 मार्च 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री रोहित यादव, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामगढ़ बुनकर सहकारी संस्था मर्या., जामगढ़, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 316, दिनांक 05 मार्च 1983 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1428)

रायसेन, दिनांक 29 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–35.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1285–रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के द्वारा उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया महलपुर, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 18 जून 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती अनिमा मिंज, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया महलपुर, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 18 जून 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1429)

रायसेन, दिनांक 29 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–36.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापक–1167–रायसेन, दिनांक 23 जुलाई 2014 के द्वारा रेडमा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचौली, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 19 सितम्बर 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री प्रमोद इरपाचे, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेडमा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचौली, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 19 सितम्बर 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1430) **छविकांत वाघमारे,** उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश

महाराजा छत्रसाल कॉलेज रोड, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.)

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2026—क्यू.— कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, जरधोवा	402/09—02—2000	1820/23—12—2024
2.	प्राथमिक वनो. सहकारी समिति मर्यादित, ललार	404/02—03—2000	1819/23—12—2024
3.	ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हाटूपुर.	461/21—11—2002	1852/23—12—2024
4.	ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, समाना.	601/03—07—2004	1832/23—12—2024
5.	मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, रानीगंज पन्ना	362/04—04—1995	1809/23—12—2024
6.	सुभम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	418/18—09—2002	1807/23—12—2024
7.	श्रीधाम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	359/01—11—1994	1813/23—12—2024
8.	अधिवक्ता गृह निर्माण सह. समिति मर्यादित, पन्ना	622/24—03—2006	1823/23—12—2024
9.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	399/03—07—1999	1815/23—12—2024
10.	जिला कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	378/10—09—1996	1814/23—12—2024
11.	प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	365/27—10—1995	1808/23—12—2024
12.	प्राथमिक उप. सहकारी भंडार मर्यादित, देवेन्द्रनगर	338/29—12—1990	1810/23—12—2024
13.	बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	28/20—4—1959	1831/23—12—2024
14.	बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, हरदुआ	201/13—08—1964	1830/23—12—2024
15.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	5/14—09—1956	1800/23—12—2024
16.	पीतल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, ककरहटी	61/06—12—1959	1828/23—12—2024
17.	कुम्हकार सहकारी समिति मर्यादित, बडवारा	78/10—03—1960	1827/23—12—2024
18.	जिला खादी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	79/24—03—1960	1826/23—12—2024
19.	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कुंजवन	150/26—03—1963	1825/23—12—2024
20.	साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, हरदुआ	205/28—04—1964	1851/23—12—2024
21.	पन्ना मिनरल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	248/26—07—1971	1817/23—12—2024
22.	चूना उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	254/09—01—1973	1840/23—12—2024
23.	महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	265/06—05—1980	1841/23—12—2024

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	युवा प्रतिभा सहकारी उद्योग समिति मर्यादित, पन्ना	267 / 12—08—1981	1843 / 23—12—2024
25.	स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	268 / 10—12—1981	1844 / 23—12—2024
26.	शूमेकर्श उद्योग सह. समिति मर्यादित, पन्ना	269 / 09—02—1982	1845 / 23—12—2024
27.	प्रजापति ईट मिट्टी उद्योग सह. समिति मर्यादित, मडला	271 / 03—05—1982	1846 / 23—12—2024
28.	आदि. खनिंज एवं वनोपज उद्योग सह. समिति मर्यादित, बंगला.	272 / 04—12—1982	1847 / 23—12—2024
29.	आदि. खनिज एवं वनोपज उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मनौर.	282 / 05—03—1987	1849 / 23—12—2024
30.	आदिवासी खनिज एवं वनोपज उद्योग सह. समिति मर्यादित, झाझर.	283 / 11—03—1987	1874 / 23—12—2024
31.	काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	2—4—1990	1872 / 23—12—2024
32.	पांच्चजन्य चलचित्र निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना	343 / 25—11—1991	1871 / 23—12—2024
33.	हरि.ईट निर्माण एवं पत्थर मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, सिलधरा.	397 / 02—07—1999	1873 / 23—12—2024
34.	स्टेशनरी क्रय—विक्रय सामान्य आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना.	640 / 03—03—2009	1868 / 23—12—2024
35.	ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इन्द्रपुरी पन्ना	537 / 10—06—2003	1824 / 23—12—2024
36.	प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्यादित, पन्ना	408 / 19—10—2000	1829 / 23—12—2024
37.	वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, झरकुआ	208 / 09—03—1965	1865 / 23—12—2024
38.	आदि. वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, मडला	260 / 05—09—1977	1865 / 23—12—2024
39.	आदि. वन खनिज श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, कुडार.	261 / 26—08—1978	1864 / 23—12—2024
40.	महिला डायमंड बीडी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना.	369 / 15—07—1996	1862 / 23—12—2024
41.	खनिज वनोपज एवं पत्थर सहकारी समिति मर्यादित, जमुनहाई.	611 / 05—10—2004	1869 / 23—12—2024
42.	विश्वकर्मा काष्टकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना.	660 / 30—03—2011	1867 / 23—12—2024

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक / अध्यक्ष / सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी / ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावे को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय—प्रमाण मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा मे सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें तथा संस्था के समस्त देनदारी / लेनदारी / अस्तियों का अन्तिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना दिनांक आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-1431) **अर्चना गुप्ता,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1)(सी / ग) के अंतर्गत]

क्रं.–परि.–2026–क्यू.– कार्यालय, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहुनिया.	416 / 02–08–2002	1838 / 23–12–2024
2.	ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कांटी.	455 / 21–11–2002	1837 / 23–12–2024
3.	ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, भुलगवां.	585 / 24–01–2004	1836 / 23–12–2024
4.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बधवारकला.	355 / 04–07–1994	672 / 20–05–2025
5.	चौमुखनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कल्दा.	624 / 29–04–2006	1806 / 23–12–2024
6.	लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, अजयगढ़ (वार्ड क्र. 9 से 15)	634 / 07–11–2007	1811 / 23–12–2024
7.	प्रताप बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ	5 / 18–02–1966	1857 / 23–12–2024
8.	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, विश्रामगंज	229 / 31–01–1991	1835 / 23–12–2024
9.	छत्रसाल अफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, पबई	636 / 29–04–2008	1818 / 23–12–2024
10.	ग्रामीण ईट उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, ककरहटी	115 / 27–03–1963	1853 / 23–12–2024
11.	सारंग चावल–दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मकरी	169 / 07–11–1963	1834 / 23–12–2024
12.	लाख उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, शाहनगर	189 / 24–12–1963	1833 / 23–12–2024
13.	कत्था उद्योग सह. समिति मर्यादित, भापतपुर	19 / 25–04–1950	1855 / 23–12–2024
14.	सिघाड़ा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, गुनौर	266 / 27–06–1980	1842 / 23–12–2024
15.	चर्मकार सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ	05 / D.R.P./28–02–1950	1870 / 23–12–2024
16.	ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, गुनौर	558 / 28–08–2003	1839 / 23–12–2024
17.	भगवान शंकर यातायात सहकारी समिति मर्यादित, सिमराकला.	348 / 19–03–1993	1858 / 23–12–2024
18.	प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी समिति मर्यादित, पबई	407 / 12–10–2000	1822 / 23–12–2024
19.	आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुजबई.	1 / 26–04–1950	1863 / 23–12–2024

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति, देवराकला.	385 / 21–05–1997	1859 / 23–12–2024
21.	आदिवासी वन खनिज श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, दहलानचौकी.	389 / 21–01–1998	1854 / 23–12–2024
22.	एकलव्य आदिवासी पत्थर खनिज श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, सकतरा.	381 / 25–01–1997	1860 / 23–12–2024

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक / अध्यक्ष / सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी / ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावे को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा मे सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा–पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें तथा संस्था के समस्त देनदारी / लेनदारी / अस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र दिनांक आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

प्रदीप कुमार अहिरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1432)

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी / ग के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2026–क्यू.– कार्यालय, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश कमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवराभापतपुर.	354 / 09–05–1994	46 / 21–01–2026

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक / अध्यक्ष / सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी / ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावे को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा मे सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी / लेनदारी / अस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना दिनांक आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

बी.एल.एस. सेमिल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1433)

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी / ग के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2026–क्यू.– कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. व दिनांक (3)	परिसमापक नियुक्ति आदेश कमांक व दिनांक (4)
1.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पबई.	354 / 09–05–1994	1816 / 23–12–2024
2.	माँ वैष्णो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, पवई.	630 / 21–08–2007	1812 / 23–12–2024
3.	डॉ अम्बेडकर हड्डी चमडा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, निवारी.	274 / 18–04–1984	1848 / 23–12–2024
4.	फलाईग होम इंडस्ट्रीज सहकारी समिति मर्यादित, पवई.	07 / 13–03–1955	1801 / 23–12–2024
5.	हरिजन एवं आदिवासी खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पवई.	275 / 05–07–1984	1856 / 23–12–2024
6.	श्री गांधी कामगार तथा कारीगरी सहकारी समिति मर्यादित, रैपुरा	197 / 28–04–1964	1866 / 23–12–2024
7.	हरिजन ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, पवई	357 / 29–09–1994	1875 / 23–12–2024
8.	अदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, हडा.	372 / 01–08–1996	1861 / 23–12–2024

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक / अध्यक्ष / सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी / ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावे को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा मे सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी / लेनदारी / अस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना दिनांक आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विष्णु कुमार दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1434)

कार्यालय, परिसमापक, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खैरमूंगली (रायसेन), मध्यप्रदेश

खैरमूंगली, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

प्रारुप क्रमांक– पांच

[नियम 57(ग) के तहत् दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारुप]

पंजीयन क्रमांक 613–27–6–2002. क्र..... परि.–2025–क्यू.– यह कि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खैरमूंगली पंजीयन क्र. 613/27–6–2002, जिला रायसेन को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के आदेश क्र.......... दिनांक ....से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, की धारा 70 (1) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रयुक्त करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरमूंगली, तहसील बाड़ी/बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्र. 613, दिनांक 27 जून 2002 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबध में मय–प्रमाण के लिखित में अपना दावा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा–पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर, एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-1435) **सी. एस. जूनागढ़े,** अंकेक्षण अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक, बारना मतस्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बाड़ी (रायसेन) मध्यप्रदेश

बाड़ी, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

प्रारुप क्रमांक– पांच

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारुप]

पंजीयन क्रमांक 679–23–8–1999 .क्रं.–परि.–2025–क्यू.– यह कि बारना मतस्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बाड़ी पंजीयन क्र. 679/ 23–8–1999, जिला रायसेन को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के आदेश क्र. .... दिनांक .... से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, की धारा 70 (1) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परसमापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारना मतस्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बाड़ी, तहसील बाड़ी/बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 23 अगस्त 1999 से संबंद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबध में मय–प्रमाण के लिखित में अपना दावा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा–पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर, एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सी. एस. जूनागढ़े, अंकेक्षण अधिकारी.

(G-1436)

कार्यालय, परिसमापक, आदर्श हाथकरधा / बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 10 दिसम्बर 2025

प्रारुप क्रमांक– पांच

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

पंजीयन क्रमांक 278– / 9–2–2006, क्रं.–परि.–2025–क्यू.– यह कि आदर्श हाथकरधा / बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, पंजीयन क्र. 278, जिला रायसेन को उप / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के आदेश क्र. 917 दिनांक 23 नवम्बर 2022 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसम्रापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श हाथकरधा / बुनकर सहकारी समिति मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 9 मार्च 2026 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना–पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय–प्रमाण के लिखित में अपना दावा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा–पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

ए. पी. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-1437)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026—माघ 24, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.